श्री सभापति : ठीक है।

In Now, the State Banks (Repeal and Amendment) Bill, 2017. Shri Shiv Pratap Shukla to move.

The State Banks (Repeal and Amendment) Bill, 2017

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अधिनियम, 1956 का निरसन करने वाले और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।

The question was proposed.

MR. CHAIRMAN: The motion is moved. Any Member desiring to speak may do so. Afterwards, the Minister will reply. A list has been given. Shri Jairam Ramesh will initiate the discussion.

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Thank you, Mr. Chairman, Sir.

Sir, I rise to speak on a Bill which has already become a reality. This is a Bill which provides for the merger of the State Bank of Travancore, the State Bank of Mysore, the State Bank of Hyderabad, the State Bank of Patiala and the State Bank of Bikaner and Jaipur into the State Bank of India.

The merger already took place on the 1st of April, 2017. These associate banks have ceased to exist. However, we are discussing this Bill a year and two months after the formal merger took place. Better late than never! This Bill has been scheduled for successive sessions. But for one reason or the other it could not be taken up. So, we are actually giving *post-facto* approval to a merger that has already become a reality.

Sir, the history of these State Banks is well known. There were seven associated banks. In 2008, the State Bank of Saurashtra was merged with the State Bank of India. In 2010, the State Bank of Indore was merged with the State Bank of India. Today, we are merging the last of the five banks which are of historical legacy into the State Bank of India. In fact, today the only bank started by an erstwhile Maharaja, which still exists as an independent entity, is the J&K Bank, which was started by Maharaja Hari Singh way bank in 1938.

Sir, I want to use this opportunity to raise certain questions and issues relating to this merger. Actually, technically, this is not a merger; this is an internal reorganization within the SBI family because the logo is the same, the Chairman of the SBI is the Chairman of

the associate banks, senior level appointments are made by the SBI, the treasury operations are common and credit decisions are taken by the SBI. So, technically speaking, this is not a merger; this is an internal reorganization within the large SBI family.

Sir, in the last 25 years, there have been 32 mergers in the private sector banking industry, and the most recent merger was in 2004 when the Global Trust Bank, with which you are very familiar, Sir, was merged with the Oriental Bank of Commerce.

MR. CHAIRMAN: I am familiar because of the area.

SHRI JAIRAM RAMESH: No, Sir, familiar because of the fact that it was started by a Hyderabad-based entrepreneur, no other allusion. The Global Trust Bank was merged with the Oriental Bank of Commerce. Now, there is only one merger where a public sector bank had merged with a public sector bank, and that was in 1993 when the New Bank of India was merged with the Punjab National Bank which, of course, has now become a household name. It took almost five years for the Punjab National Bank to deal with the implications of the merger of the New Bank of India. Now, it is very easy to say that mergers must take place, but the reality of the mergers is quite different, and the experience of the Punjab National Bank with the New Bank of India should be a cautionary tale.

Sir, in 2016-17, the net losses of these five associate banks was ₹ 11,800 crore. The net losses of these five associate banks, Travancore, Hyderabad, Mysore, Bikaner and Patiala, were ₹ 11,800 crore. The net profit of the State Bank of India was ₹ 10,500 crore. Sir, look at this — we are merging five banks whose consolidated loss was ₹ 11,800 crore with the mother bank which was making a net profit of ₹ 10,500 crore. Now, the story does not improve in 2017-18. For the first time in 20 years, the State Bank of India reported a quarterly loss in the last quarter, quarter-Ill, of 2017-18, of ₹ 7,700 crore. It had never reported a loss. The last time SBI reported a loss was in 1999. For the first time, for the quarter ending December, 2017, the State Bank of India reported a loss of ₹ 7,700 crore. Sir, we thought that was a one quarter event. However, for the next quarter, the quarter ending March, 2018, State Bank of India has reported a loss of ₹ 2,400 crore.

Sir, the short point is this. The State Bank of India is the crown jewel of the Indian banking industry. We all hope it will not be privatized under any circumstances. It has stood the country well; it has served the country well. However, the merger of the associate banks into the State Bank of India has created some financial dislocation which will take

[Shri Jairam Ramesh]

some time to smoothen out and whatever support the State Bank of India requires from the Ministry and from the Government should be readily forthcoming because we need a healthy State Bank of India which is really a global enterprise as far as India is concerned. Sir, there are three or four issues relating to the merger which I want to highlight. First, we do not merge physical entities. Ultimately, merger is about people. People of one bank merge into people in another bank. Today, the State Bank of India's total employees are 2,00,000. The employees' strength of these five banks is 70,000. So, the total employees' strength of the State Bank of India now is going to be increased from 2,00,000 to 2,70,000. The State Bank of India will become the fifth largest employer in the country. Now, the point is that merger involves human resource issues. How do you manage the transition? First of all, managing 2,00,000 people is a challenge, but managing 2,70,000 people is going to be an even bigger challenge. I would urge the Government to pay greater attention to the human resource aspect of the merger and not just the balance sheet aspect of the merger. We tend to get fixated on the balance sheet; we should really be focussed on the people who are being merged. Sir, the second issue is that there will be need for bank rationalisation; not bank lationalisation but branch rationalisation. There may be hundreds of branches which may have to be rationalised because now these five banks are merged with the mother State Bank of India. Of course, in today's age, with electronic banking, internet banking, mobile banking, brick and mortar banking does not have that greater relevance. However, Sir, we are used in this country to going to our bank. Going to our bank is not just to withdraw money; going to our bank is like doing teerth yatra. We go to our bank. It is in-built into our system. I still go to my bank even though I have all the IT tools at my command. So, I think this branch rationalisation aspect is something that the Government has to pay far greater attention to than has been the case so far and particularly because these five banks are now coming into the SBI fold. Sir, the third that I want to make is that these five State associate banks played a very important role in the local areas. Now, take an example from your own State. The State Bank of Hyderabad played a very important role in the growth of the women's Self-Help Group Movement. In fact, the two banks that fuelled the women's Self-Help Group Movement in undivided Andhra Pradesh were Andhra Bank and the State Bank of Hyderabad. The State Bank of Mysore has played a very important role in the development of the districts of Mysore. The State Bank of Travancore has historically played a very important role in the development of Travancore and parts of Travancore. The point is, today everybody looks at banks — the bigger the better. The bigger the bank the better; the bigger the

balance sheet the better. Sir, I want to add a word of caution. Bigger is not always better; bigger is not always efficient. You need global scale, but you need local skills. Banks have to be looking globally but they have to be operating locally. The State Bank of India has all of India and the entire world on its canvas. But the State Bank of Hyderabad or the State Bank of Patiala or the State Bank of Bikaner and Jaipur had local areas as their focus. Sir, I am afraid that in the name of reforms and in the name of globalisation we are losing the local roots of our banks. Our banks must be global; they must be strong but they must have strong local anchors. I would urge the Government that while they go ahead with this merger, they also pay adequate attention to strengthen the local level operations and see how the local level operations of these big banks like State Bank of India, Bank of India, Bank of Baroda and so on and so forth can be further encouraged. Sir, my final point is this. Sir, I would like to have your undivided attention.

MR. CHAIRMAN: Please carry on. You have three more minutes.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, from time to time, we keep hearing that India requires lesser number of banks, that banks should be merged. Sometimes, we hear statements that banks must be re-privatised because ultimately fifty years ago, these banks were public and they were privatised. Sir, I would like the Government of India — today, neither of the two Cabinet Finance Ministers are here, but the Minister of State is here — I would like the Minister of State to give an authoritative statement on behalf of the Government of India that privatisation of banks, de-nationalisation of banks is not on the Government's agenda. This is number one. Number two, Sir, this loose talk that India requires six banks, India requires seven banks. Sir, how do you arrive at six, seven? India is a vast country with 1.3 billion people. We are going to be 1.7 billion people in thirty years' time. We have 29 States, different regions, different requirements. Now, how does somebody, an economist or a civil servant, determine that six banks are enough for India or seven banks are enough for India? These evolve through developmental needs and challenges. And, I would like the hon. Minister to say that these numbers are not being plucked out of a hat, that banks will be strengthened, systems of accountability in banks will be improved and when mergers take place, merger will take place not for the sake of reducing the number of banks but mergers will take place because it makes sense for both banks to come together. It should not be a distressed marriage, it should not be a short-cut marriage, it should be a marriage between two willing partners. Sir, finally, banks have been in the news in the last couple of months. We have all read about the large number of financial frauds, financial scams that have taken place. This is not just in the public sector banks but we are also seeing this in private sector banks. So, clearly, there has been a complete collapse of

[Shri Jairam Ramesh]

governance system. Within the banks, there has been a collapse of the governance system between the Government and the bank and there has been a collapse of the regulatory system. And, I would urge the Government to use this opportunity to take the people of India into confidence because there is nothing more psychologically devastating to a country when it begins to lose confidence in its banks. Losing confidence in politicians is one thing but losing confidence in banks, in my view, is far more disastrous because in the case of politicians, you can always choose when elections are there but in the case of banks, you cannot. So, I think in order to instil confidence in the people that the banking system is healthy, I think the Government should come out and say these are the steps that we are taking to ensure improvement in governance within the banks, these are the steps that we are taking to improve the regulation of banks, which is done by the Reserve Bank of India and these are steps that the Government is taking to improve its own relationship with the banks.

Sir, with these words, I support the Bill. I wish the Bill had come much earlier. But, I urge the Government to use this opportunity of looking at some of the structural problems of our banking industry and not look at privatisation and de-nationalisation as instant miracles. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Thank you, Jairam Rameshji. You have made good points. Now, Shri Ram Kumar Vermaji.

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान)ः चेयरमैन सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यह opportunity दी। The State Banks (Repeal and Amendment) Bill, 2017 के संबंध में, जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी बताया है कि इस बिल का जो प्रभाव और मर्जर होना था, वह 1 अप्रैल, 2017 से शुरू हो गया है। 22 फरवरी, 2017 के गज़ट नोटिफिकेशन के आधार पर उसने 1 अप्रैल, 2017 से अपना कार्य शुरू कर दिया है और एसबीआई के अंदर ये पांचों सब्सिडियरी बैंक, एसोसिएटेड बैंक्स का मर्जर हो गया है। इस बिल के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडियरी बैंक्स, 1959 वाला जो ऐक्ट है और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का जो 1956 का ऐक्ट है, वह रिपील होगा1 जब एसोसिएट बैंकों का मर्जर हो चुका हो, तो उसका रिपील होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से सब्सिडियरी बैंक के संबंध में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट 1955 के अंदर जो संबंधित प्रोविजन्स हैं, उनमें अमेंडमेंट करना भी जरूरी है, चूंकि अब पांचों बैंक एसबीआई के रूप में जाने जाएंगे। इसके अंदर स्टेट बैंक, बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक, मैसूर, स्टेट बैंक, पटियाला, स्टेट बैंक, त्रावणकोर और स्टेट बैंक, हैदराबाद आ जाएंगे और हैदराबाद अपने आप अलग से अधिनियम, 1956 के साथ मर्ज हो रहा है। माननीय सदस्य ने एसबीआई बैंक की हिस्ट्री भी बताई और एसबीआई में इन बैंकों का मर्जर क्यों दिया गया, यह भी बताया। यह बात ठीक है कि इंडिपेंडेंस से पूर्व हम अगर देखते हैं और जैसा कि माननीय सदस्य ने भी बताया है कि विभिन्न राज्यों के स्तर पर ज्योग्राफिकल आवश्यकताओं की पूर्ति

करने के लिए और रीजनल बेसिस पर और स्टेटवाइज़ इस तरह के बैंक थे, जिनको प्रेसिडेंशियल बैंक के रूप में जाना जाता था, उसी तरह से यह भी उन्हीं का एक रूप था। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखें, तो 1906, 1908 और 1909 और उसके बाद में यह इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में आया। देश की आज़ादी के बाद इसके लिए 1955 में ऐक्ट बना और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऐक्ट के तहत इस बैंक का गठन हुआ, जो कि पब्लिक सैक्टर बैंक के अंदर आता है। बैंकों के मर्जर की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर इस तरह का डिसीज़न हुआ हो। कई बार ऐसा लगता है कि सरकार ने अकस्मात इस तरह का डिसीज़न लिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए एक प्रक्रिया है, एक पद्धति है, एक प्रोसीज़र है, जो कि बहुत लम्बा है। जिस तरह से इन बैंको का मर्जर हुआ है, अगर पीछे की हिस्ट्री को देखें, तो समय-समय पर रिंजव बैंक के निर्देशानुसार इसके संबंध में कमेटियां गठित हुयी थीं। उन्होंने देखा था कि किस तरह से हम बैंकों को मजबूत और सुदृढ़ कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कमेटियां का गठन किया गया। उनमें एक नरसिम्हम कमेटी थी, जिसका 1990 के दौरान गठन हुआ और 1991 में उस कमेटी की रिपोर्ट आयी। रिपोर्ट के दौरान यह पाया गया कि हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में सुधार के लिए उनको हम फाइनेंशियल तौर से, कैपिटल के तौर पर और कस्टमर की सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है कि उसके स्ट्रक्चर में और बड़ी ऑर्गनाइजेशन में चेंज किया जाए। उसकी रिंकमडेशन थी कि तीन बड़े ग्लोबल स्तर के बैंक होने चाहिए, आठ से सद बैंक नेशनल स्तर के होने चाहिए और रीज़नल बैंको का भी गठन किया जाए। इससे पूरे भारत के अंदर बैंकिंग सिस्टम में सुधार होगा, लेकिन इस तरह का स्टेप जो उस समय लेना चाहिए था, वह नहीं लिया गया और 2008 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का जरूर मर्जर किया गया, लेकिन बाकी के बैंकों का मर्जर नहीं किया गया। इसके बाद में आरबीआई के द्वारा और एसबीआई एसोसिएट्स बैंको के जो बोर्ड्स हैं, उनके बीच में काफी कंसल्टेशन चला, एक प्रक्रिया चली। आरबीआई की तरफ से बैंकों के मर्जर के लिए एक प्रक्रिया चली। मर्जर से पहले बैंकों की प्रक्रियाओं को बारीकी से देखा जाता है कि जिस बैंक में दूसरा बैंक मर्ज हो रहा है, उसके मर्ज होने से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। ऐसा करने से हमारे बैंकों में किस तरह से सुधार होगा, क्या वह कैपिटल में होगा, कस्टमर्स को होगा, उसकी प्रोडेक्टिविटी पर कितना असर पड़ेगा? हमारा इंडिया पूरा रूरल बेस्ड है, उसकी ग्रामीण एरिया में सर्विसेज़ में कितना सुधार होगा, यह सब देखा जाता है। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए एसबीआई और हमारे पांचों एसोसिएटेड बैंकों के बोर्ड का आरबीआई के साथ एक समझौता हुआ। उन्होंने इस बात के लिए एग्री किया कि हम एसबीआई में मर्जर करने के लिए तैयार हैं। उसी को मद्देनज़र रखकर आरबीआई ने उसे एप्रूव किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कैबिनेट ने 22 फरवरी, 2017 में एक डिसीज़न लेते हुए, एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया। महोदय, दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से इस तरह का मर्जर हो चुका है, जो अब लागू हो गया है। आज यदि हम देखें, तो एसबीआई का हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर एक महत्वपूर्ण और पूरा-पूरा रोल रहा है। अगर हम उसके कुछ पहलुओं को देखें, तो उससे विदित होगा कि एसोसिएट बैंकों की कैपिटल एडिक्वेसी, एसैट्स और लाएबिलिटीज़, एनपीए और उनकी स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि देश का जो लार्जेस्ट बैंक है, जिसकी फायनेंशियल स्थिति बहुत साउंड है, उसके अंदर इन्हें मर्ज किया जाए। इसी के तहत उन बैंकों के एसबीआई में मर्ज करने से, हमारे बैंकक की कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ गई और जब हम सैकंड और थर्ड लैवल के नॉर्म्स को एडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसका फायदा हमारे एसबीआई को मिलेगा।

[श्री रामकुमार वर्मा]

महोदय, हमे इसे मर्जर न कह कर रीऑर्गनाइजेशन कह सकते हैं। उसका कारण यह है कि एसबीआई में तो एकाउंट भी है और जो दूसरे तीन बैंक हैं, उनके अंदर भी 90 परसेंट और 75 परसेंट शेयर होल्डिंग है। उन्हें मर्ज करने के बाद आज एसबीआई की वर्ल्ड लैवल पर और ग्लोबल स्थिति देखें, तो दुनिया के जो 50 बड़े बैंक हैं, उनमें यह 45वें स्थान पर है। इसे यदि हम उसकी ब्रांचों के हिसाब से देखें, तो यह लार्जेस्ट बैंक है, क्योंकि इसकी 2,00 ब्रांचेज़ हैं, 59,000 एटीएम हैं। इसी के साथ, जैसा कि ऑनरेबल मैम्बर ने भी बताया, यदि स्टाफ, यानी अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या के आधार पर देखें, तो आज उनकी 2,72,000 एक्चुअल स्ट्रेंथ है। एसोसिएट बैंकों के मर्ज होने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमारी कैपिटल एडिक्वेसी साउंड होगी। इसके बाद लगभग 26 लाख करोड़ रुपए की पूंजी एडवांसेज़ के लिए रहेगी और जो डिपॉजिट्स होंगे, उनके आधार पर लगभग 18 लाख करोड़ के एडवांसेज दिए जा सकेंगे।

महोदय, भारत के प्रधान मंत्री, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बात पर जोर दिया गया है कि हमारे देश का आम आदमी बैंकिंग सिस्टम से जुड़े। उसके अनुसार काम किया जा रहा है और आपने देखा होगा कि देश में जन-धन एकाउंट्स के माध्यम से 32 करोड़ लोगों को बैंकों से जोड़ा गया है। बैंकों से उन्हें जोड़ने के बाद जितनी भी हमारी कल्याणकारी स्कीम्स हैं, जिनसे डाउनट्रॉडन क्लास के साथ-साथ मध्यम क्लास के लोगों को फायदा होता है, उन्हें डिजिटल पेमेंट और उनके खाते में डायरेक्ट एमाउंट ट्रांसफर करने के माध्यम से बैनिफिट मिल रहा है। चूंकि एसबीआई ने अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वर्ष 1990 से कंप्यूअराइज्ड सिस्टम को एडॉप्ट किया, इसलिए हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में वह आईटी और कंप्यूटराइजेशन के मामले में सक्षम बैंक है। जब टेक्नोलॉजी इतनी सक्षम होगी, तो निश्चित रूप से हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से और डिजिटल माध्यम से हमारे गांव जुड़ेंगे। हम चाहते हैं कि 6 लाख एरियाज़ में जो व्यक्ति रहते हैं, वे जुड़ें। जिनके एकाउंट नहीं हैं, उनके एकाउंट खोले जाएंगे। इन ब्रांचों के माध्यम से वे जुड़ेंगे। जब वे इन ब्रांचों के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे पास 26 लाख करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स होंगे और उसके बाद टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैनेजमेंट की कॉस्ट कम आएगी, उसके कारण हमारे फंड को मैनेज करने की कॉस्ट कम होगी। जब हमारी कॉस्ट ऑफ फंड कम होगी, तो हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स होंगे, वे कम होंगे।

महोदय, अगर हम भारत में अन्य बैंकों की तुलना में देखें, तो अभी भी एसबीआई का चाहे हाउस लोन है, कार लोन है या एसएमई इंडस्ट्रीज़ को दिए जाने वाले लोन हैं, उनके इंटरेस्ट रेट्स कम हैं। मैं समझता हूं कि आगे चलकर जब इसमें 26 लाख करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स हो जाएंगे, तो पोज़िशन और अच्छी हो जाएगी। पहले पांच बैंक अपना अलग-अलग मैनेजमेंट करते थे, उनकी तुलना में अब सिर्फ एक मैनेजमेंट होगा, इससे भी फायदा होगा। अब मॉनिटरिंग सिस्टम और अच्छा होगा, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों किस-किस प्रकार के फ्रॉड हुए और लोग लोन लेकर देश से बाहर चले गए। उस पर एक बहुत बड़ा कंट्रोल होगा। इसका कारण यह है कि एसबीआई का अपना बैंकिंग सिस्टम है, वह बहुत मज़बूत है। आज भी एसबीआई ही, आरबीआई और बैंकिंग रेगुलेशन का जो सिस्टम है, उसे पूरा का पूरा फॉलो करता है। वह उसको और मजबूती से, इन बैंकों की ब्रांचेज़ से कहेगा।

सर, इसको लेकर कई शकाएं हैं। हमारे कुछ साथी कहते हैं कि मर्जर होने के बाद शायद ये ब्रांचेज बंद होंगी, शायद इससे ग्रामीण एरिया की अर्थव्यवस्था में नुकसान होगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें एक परिवतन नाम का हुआ है और उन ब्रांचेज़ के एक्विज़िशन को इस तरह से नहीं लिखा गया है कि उनको abolish कर दिया जाए, उन्हें खत्म कर दिया जाए। यह जरूर है कि अगर कोई ब्रांच वॉयबल नहीं है, उसमें दिक्कत आ रही है, तो उसको मर्ज किया जा सकता है। गाँव में दो की जगह एक ब्रांच की जा सकती है, लेकिन ब्रांचों का विस्तारीकरण, गवर्नमेंट की पॉलिसी में है और वित्त मंत्री जी ने भी बार-बार कहा है कि इस तरह से नहीं होगा। कुछ शंकाएं आती हैं कि जिनका स्टाफ होगा, सबऑर्डिनेट स्टाफ या जो भी स्टाफ आएगा, उसके साथ सैकंडरी व्यवहार किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब यह एग्रीमेंट हुआ, तब समझौता हुआ, तब चारों-पांचों बैंकों के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनके साथ, आरबीआई के साथ यह तय हुआ कि एसबीआई के स्टाफ को जो फैसिलिटीज़ दी हैं, उनको जो सुविधाएं दी हैं, उनका जिस तरह का मान-सम्मान होता है, हमारे जो बैंक्स मर्ज हुए हैं, उनका उन बैंकों से भी उसी तरह का ट्रीटमेंट होगा। आज हम देखते हैं कि अप्रैल के बाद कर्मचारियों के द्वारा ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, जिससे कि कोई दिक्कत हो। मैं समझता हूं कि इस तरह से बैंक के मर्ज होने के बाद, इसका जो रूप है, वह कार्यरूप में मूर्त हो गया है।

सर, इस बिल के बाद जो एक्ट बनेगा, उसमें दोनों एक्ट्स की रिपील होगी। इसके साथ-साथ जो इसमें रिलेवेंट प्रोविज़न हैं, जो अनावश्यक हैं, जिनकी नीड नहीं है, उनको हटाने से भी राहत मिलेगी। इसी तरह से देश के हित में, देश की इकोनॉमी, आज जो वर्ल्ड लेवल इकोनॉमी को देखते हैं, उसमें हमारी फास्टेस्ट ग्रोथ रेट की इकोनॉमी है।

सर, भारत में जिस तरह का एक जनकल्याणकारी माहौल बना है, जिस तरह की यह योजना है, उसमें बैंकिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल है और हम एसबीआई के अंदर मर्ज होने के बाद उसको अचीव करेंगे। मैं समझता हूं कि वह कस्टमस के लिए, पूरी जनता के लिए और जो बेनिफिशियरीज़ हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसी तरह से, मैं यह कहना चाहता हूं कि बिल से संबंधित जो भी बातें हैं, जैसा कि मैंने बोला ही है कि उसमें reduction of cost होगी, better profitability होगी, lower cost of funds होगा, better interest rate होगा। इसकी productivity और customer service में improvement होगा, इसका supervision solid होगा, इसका monitoring system वगैरह भी होगा। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह का मर्जर हमारे देश के हित में होगा, देश की अर्थव्यवस्था के हित में होगा और हमारी ग्रामीण व्यवस्था में वह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri N. Gokulakrishnan.

SHRI N. GOKULAKRISHNAN (Puducherry): Sir, the State Banks (Repeal and Amendment) Bill, 2017 seeks to repeal the two Acts. ...*(Interruptions)*...

SHRI NEERAJ SHEKHAR (Uttar Pradesh): It is not audible. Perhaps, your mike is not working. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please use the mike. ...*(Interruptions)*... Are you speaking from your seat? ...*(Interruptions)*...

SHRI N. GOKULAKRISHNAN: It is working now.

MR. CHAIRMAN: Please go ahead.

SHRI N. GOKULAKRISHNAN: Sir, the State Banks (Repeal and Amendment) Bill, 2017 seeks to repeal the two Acts, namely, the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and, the State Bank of Hyderabad Act, 1956. These Acts established the State Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Mysore, State Bank of Patiala, State Bank of Travancore and State Bank of Hyderabad. These banks were subsidiaries of the State Bank of India. ...*(Interruptions)*... Sir, my mike is not working. ...*(Interruptions)*... I am speaking from my seat. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): The Display Board is also not working properly. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please. That is not working but I am working, don't worry; you work. ...*(Interruptions)*...

SHRI N. GOKULAKRISHNAN: The State Bank of India is India's largest bank with assets of ₹ 30.72 lakh crore and stands at number 64 in the global ranking of banks, as on December, 2015. Upon post-merger, with assets of approximately ₹ 40 lakh crore, it will be among the top 50 banks in the world.

According to the global rating agency, Moody's report, the merger will have limited impact on SBI's credit metrics. The reason is that the State Bank of Hyderabad and the State Bank of Patiala were wholly owned subsidiaries of the SBI and also have majority stakes in the other three associate banks.

Sir, I would now like to address five important issues in detail which will be significant in this merger. They are: asset quality, profitability, technology, branch rationalisation and employee reallocation.

Let me come to the first issues, that is, asset quality. By virtue of being the country's largest lender, the SBI is bound to have bad loans on its books. Moreover, its associate banks also have accumulated large amounts of bad loans. When the entities are merged, these bad loans will become part of one bank. Consolidation would help in better deal with these accounts as there are a number of common accounts among these banks. As such, the SBI would have more capital base and can offer loan of high value more liberally. As

a result, burden on the Central Government to recapitalize the public sector banks would come down to a certain level due to merger.

Then comes the issue of profitability. Typically, due to various transition issues, a merger among banks will bring negative impact as far as profitability of the combined entity is concerned. Associate banks such as the State Bank of Travancore and the State Bank of Mysore have already reported losses owing to asset quality concerns on their books. With the merger of these small banks, their customers would get access to wider financial services like mutual funds and insurance products which are available only with larger banks. The quantum of inter-bank transactions among these banks will drastically come down and thereby both time and labour can be saved in the process of clearing and reconciliation of accounts.

As far as technology is concerned, SBI has been at the forefront in adopting new front-end and back-end technology to be competitive in the market. SBI has an active information technology department that works on a number of innovative solutions for the bank, and this kind of technology will be more useful to the customers. Security of the customer data across these associate banks is also a concern.

Regarding branch rationalisation, in the years of expansion, SBI and its associate banks have opened a large number of branches across the country. With the merger, it is not necessary to have two or three branches next to each other. This principle may also be applicable on ATMs to manage the cost. The combined entity will make the SBI as the largest bank in India with more branches and ATM networks in the country. As far as the negative impacts of the merger go, with the passage of this Bill, the associate banks will lose their local prominence. It is seen that the process of merger of associate banks would always weaken the public sector banks and encourage more private participation in the banking sector. It is learnt that at present, processing of new loans from associate banks has already been stopped, which surely create more inconvenience to the customers. Another important thing is that by the introduction of this Bill, the corporates had to face tough time till they adapt themselves to new norms.

My last point is regarding employee reallocation. In any merger, the rationalisation of the headcount is always a major concern. The promotional opportunities and career growth of senior management level and other employees could attract critical problems which should be resolved amicably. Moreover, seniority related matters among mid-level employees is also an important issue as any pending promotions may now have to wait till

[Shri N. Gokulakrishnan]
the merger is fully completed. The SBI had told that the merger would be done seamlessly as it has the experience of two earlier mergers of State Bank of Saurashtra and State Bank of Indore in 2008 and 2010 respectively.

Sir, I wish to urge the Government to provide adequate compensatory benefits to the employees of the associate banks who may either opt for VRS or continue to serve the SBI.

Sir, before I conclude, I would like to highlight the significance of this merger. The loss incurred by the small banks will be completely taken over by the SBI which will result in accumulation of huge debts. Ultimately, it pushes the SBI to go for abnormal haircut that paves the way for more financial stress to the SBI. It is really a moot question whether SBI will retain 50th rank in the global banking after merger since the whole burden to be borne by the SBI.

With this, I conclude. I welcome the Bill. Thank You, Sir.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, first of all, I thank the Government, for at least this Bill presumably has not been introduced as Money Bill.

Sir, all of us know that five subsidiary banks have been merged with the State Bank of India *vide* Gazette Notification dated 22nd February 2017. When this Bill was introduced in the other House, in its Statement of Objects and Reasons it was stated that for the purposes of rationalisation of resources, reduction of costs, better profitability, lower cost of funds leading to better rate of interest for public at large, improved productivity and customer service, SBI, with the sanction of the Central Government, had decided to merge this. Accordingly, the Government issued the order and the Gazette Notification was published. The Bill was passed by the Lok Sabha and it is now before us for consideration.

My first question is this. How far the objectives of the Bill have been achieved in the meantime? Some 16 or 17 months have elapsed in the meantime. How much rate of interest for the public has been enhanced after the merger of these five subsidiary banks of the SBI? I want the hon. Minister to respond to these questions while replying to this discussion.

Mr. Jairam Ramesh rightly mentioned the background of nationalisation and the new scenario of denationalisation which is coming up. And talks are reportedly going on in the Government that there will be merger of more PSU banks out of 21 PSU banks.

Sir, I would like to cite one example with your kind permission. A news item has been published in The Indian Express today. It says that the Life Insurance Corporation has written to the IDBI to acquire 51 per cent controlling stake as its promoter. Apparently, there should not have been any objection to this. But everybody knows that like many other banks, IDBI was a breeding ground for scamsters. If a sick bank like IDBI is embraced by the LIC, which is a Central Government Organisation, the money of the policyholders will be at stake because IDBI's 51 per cent equity or share will be taken over by the LIC. You know as to what its fate would be. All along we have been raising the issue of mounting NPAs which are more than ten lakh crore rupees. And we have been demanding this, time and again, as to why the names of wilful defaulters, who otherwise should have been treated as economic offenders, have not been published and why actions under criminal law are not being taken against them. The Government so far has not given any reply, not to speak of any satisfactory reply. Therefore, this way, if the Government adopts this merger one after another, by merging so many PSU banks in detrimental to the interest of the depositors and in detriment to the policyholders, if the insurance companies come to the rescue of the defaulting banks or the banks which have large amounts of NPAs, then there will be a severe impact on our economy. It is creating a severe impact and it will further create a severe impact.

Therefore, Sir, I have nothing to say on this particular Repeal and Amendment Bill because already gazette notification has been issued. Lok Sabha has passed it and we are here to merely approve it. Buffaloes are not before the cart; there is a cart before the buffaloes. Parliament was not taken into consideration before taking the decision. Decision was taken by the executive; gazette notification was published. Then, it was brought to the Lok Sabha and now it is before the Rajya Sabha. So, we are almost in a helpless situation. Only thing that we can do is we can criticise but I am not on the blame game. I am asking the Government to have a serious thought on this. If this process continues, there will be a danger to our economy. Nowhere in the world, a Government has adopted this as a solution. This cannot be the solution. There should be threadbare discussions. Several Standing Committees of Parliament have given so many recommendations on this as to how to come out of this situation created over the years. It is not that after this Government has come the situation has cropped up. No. This is a perennial problem. This is a perennial problem and, therefore, whoever or whichever party is in Government, there should be a serious thought over this issue, the recommendations of the Standing Committees should be taken into consideration and larger public view should be adopted to checkmate the situation. Therefore, Sir, through you, this is my humble submission

[Shri Sukhendu Sekhar Ray]
to the Government. The Government should take serious note in its entirety and not in a piecemeal manner. Don't do this to help those who have looted and plundered the public money from the banks because ultimately they will go scot-free and they will flee away from the country. Some of them have already fled away. More people will flee away and will take shelters in tax havens or in other countries with whom we have no treaty for their deportation. Therefore, I would urge the Government to think over the issue in its entirety and not in a piecemeal manner. Thank you.

श्री हरिवंश (बिहार)ः सभापति जी, धन्यवाद। सर, मैं The State Bank (Repeal and Amendment) Bill, 2017 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। दरअसल State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, State Bank of Hyderabad Act, 1956 को रिपील करने और State Bank of India Act, 1955 में आवश्यक संशोधन के लिए यह लाया गया है। जैसा हमारे माननीय सदस्यों ने बताया कि 1 अप्रैल, 2017 को State Bank of India में औपचारिक रूप से इन पांच subsidiaries का विलय हो चुका है। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि यह केवल औपचारिक विलय था, क्योंकि इन बैंकों के अधिक से अधिक शेयर स्टेट बैंक के पास पहले से ही थी। मसलन State Bank of Mysore के 90 फीसदी शेयर State Bank of India के पास थे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के 75 फीसदी शेयर State Bank of India के पास थे, State Bank of Travancore के 79.09 फीसदी शेयर State Bank of India के पास थे और State Bank of Patiala और State Bank of Hyderabad के 100 फीसदी शेयर State Bank of India के पास पहले से थे। इसलिए इन subsidiaries का मर्जर एक formal merger है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन और देश के सामने यह रखना चाहता हूं कि जो काम आज से 10, 20 या 25 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था, वह आज हो रहा है। यह हमारे बैंकों का वर्क कल्चर ही रहा है, जिसने आज बैंकिंग सिस्टम में यह क्राइसिस पैदा किया है। पिछले चार-पांच दशकों में बैंकों में खास तौर पर अनिर्णय की संस्कृति रही है, राजनीतिक हस्तक्षेप की स्थिति रही है, जिसके कारण आज हालात ये हो गए हैं।

महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1991 में Narasimhan Committee की रिपोर्ट आई थी, जिसने three-tier banking structure के लिए public sector banks को merge करने का सुझाव दिया था। उनकी यह रिंकमडेशन तीन बड़े बैंकों के लिए थी, लेकिन हमने उस पर कोई कदम नहीं उठाया और बाद में कुछ ऐसे merger हुए, जो छिटपुट थे, जैसे 2004 में रिज़र्व बैंक के instructions पर Global Trust Bank को Oriental Bank of Commerce में merge किया गया, इसी तरह 1993 में New Bank of India को Punjab National Bank में merge किया गया, लेकिन बैंकिंग में बड़े पैमाने पर जो रिफॉर्म होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। मैंने यहां श्री सुखेन्दु शेखर राय जी को सुना। राष्ट्रीयकरण की चर्चा इससे पहले भी हुई है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस एक व्यक्ति ने 1962 में राज्य सभा में प्रवेश करने के साथ-साथ 1969 में तत्कालीन सरकार को फोर्स किया कि वह बैंकों को नेशनलाइज़ करे। उस समय युवा तुर्क, चन्द्रशेखर जी की क्या मांग थी कि बैंक नेशनलाइज़ होने के साथ, बैंकों में काम करने वालों के लिए अलग कैडर हो, कमिटेड कैडर हो, प्रबंधन में निपुण लोग हों,

उनका वर्क कल्चर उत्तम हो, लेकिन उस तरह कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर हालात क्या हुए और बैंकिंग चेयरमैन कैसे नियुक्त होने लगे, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

अभी SFIO की एक रिपोर्ट आई, जिसके कुछ अंश मैं आपके सामने क्वोट करना चाहता हूं। जिस तरह विजय माल्या की आज चर्चा हो रही है, कम से कम इस बात के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कैसे उसकी सम्पत्ति का डिटेल में ब्यौरा इकट्ठा करके और लीगल बैटल के माध्यम से ब्रिटेन में उस पर कानूनी विजय प्राप्त की। SFIO की रिपोर्ट कहती है कि - "A set of officials of the then Banking Division of the Ministry of Finance came to the rescue of Vijay Mallya... Pliable top management of the Public Sector Banks succumbed to the pressure." **...(व्यवधान)...**

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the Minister concerned is not here. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please, please. कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, शायद वॉशरूम गए होंगे, लेकिन पॉइंट्स नोट करने के लिए मंत्री जी यहां हैं।

श्री हरिवंशः मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस वर्क कल्चर ने देश के बैंकों को तबाह किया, जिससे आज ऐसे हालात बन गए हैं। इन बैंकों में, सबसिडियरीज़ के माध्यम से, कम से कम 5 चीजें करना आवश्यक है, जिसका तत्काल असर होगा और बहुत सरलता से मर्जर होगा, क्योंकि इनकी कॉमन आइडेन्टिटी रही है। SBI का लोगो ही इनका लोगो रहा है। स्टेट बैंक का इन बैंकों पर शुरू से ऑपरेशनल कंट्रोल रहा है। स्टेट बैंक के चेयरमैन ही इनके individual Boards को preside करते रहे हैं। ये सभी सब्सिडियरीज़ बैंक एक ही तरह के information technology platform पर काम करते हैं। कई वर्षों से इनके treasury operations स्टेट बैंक से integrate हो चुके हैं। इनके major loans की vetting भी स्टेट बैंक के Centralized Control System के द्वारा होती है, इसलिए यह मर्जर फॉर्मल मर्जर है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो हमारा ख्वाब है कि मर्जर के बाद, जैसा हमारे वित्त मंत्री जी ने बयान दिया कि हम दुनिया के बड़े बैंकों में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए जब तक हमारे बैंकों का वर्क कल्चर नहीं बदलेगा, जिसके लिए अच्छी शुरूआत कुछ कानून बनाकर हुई है, तब तक ये हालात बदलने वाले नहीं हैं।

मैं पुनः कहना चाहूंगा और आप देखें कि political pressure में किस तरह से चीजों को, हालात को बदला गया। अभी हाल में हमने IDBI Bank की खबर पढ़ी कि LIC उसमें पैसे लगाकर, उसे बचाने के लिए शेयर ले रहा है। उस IDBI Bank से किसे लोन finance किया गया - दिल्ली में बैठे तत्कालीन सरकार के लोगों ने विजय माल्या को। ये सारी चीज़ें on record हैं।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय)** *पीठासीन हुए*]

मैं दूसरा उदाहरण भी देना चाहूंगा। भारत सरकार के एक पूर्व IAS सेक्रेटरी, जो SEBI के Chairman थे और किंगफिशर के बोर्ड में भी थे, SFIO की रिपोर्ट में उनके नाम का भी उल्लेख है कि किस तरह ने उनका पक्ष लिया, आपने demonetization में भी देखा कि किस तरह हमारे Public

[श्री हरिवंश]

Sector Banks में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। हमें जो खबरें आ रही हैं, सरकार ने जो सख्त कानून बनाए, उनमें Banking sector के लोग सबसे ज्यादा पकड़े जा रहे हैं, जिन्होंने गलत तरीके से पार्टीज़ को लोन दिए। मैं सिर्फ एक दिन की खबर यहां क्वोट करना चाहता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है ताकि बैंकिंग सेक्टर के हालात क्या हैं, उसकी सूचना हम सबको मिल सके। दिसम्बर, 2017 के अंतिम दिनों में, एक दिन की खबर है, (1) "CBI books SBI officials for loan fraud." (2) "CBI raids four places, register one more case in Syndicate Bank." (3) "CBI registered a case against two former AGMs and two former Chief Managers of Syndicate Bank and six persons, five executives and businessmen behind ₹ 1000 crore Syndicate Bank Fraud." (4) "ED arrest came on the back of an alleged fraud involving cheating five banks - Punjab National Bank, Syndicate Bank, Canara Bank, United Bank of India and Union Bank. The amount involved was ₹ 966 crores." यह सिर्फ एक दिन की खबर मैं आपको बता रहा हूं। इससे हालात आप समझ सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक खबर देख रहा था कि हर सप्ताह कम से कम तीन या चार बैंकों के बड़े अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। नेशनलाइज़ेशन के बाद मकसद था कि बेहतर ढंग से बैंक लोगों के लिए, समाज के लिए और देश के लिए काम करें। हमने पैसा और कैडर बढ़ाकर political interference से उनके सामने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि जो बड़े-बड़े corporate houses हैं, वे कैसे पहले लोन को सिक बनाकर, अपनी जागीरदारी बनाए रखने के लिए, दूसरे मकसद में उपयोग करते थे। महोदय, मैं अन्त में यह कहना चाहूंगा कि हमने आज़ादी मिलने के बाद जमींदारी खत्म होनेकी बात सुनी। कम से कम 1969 में देश में जो राजनीतिक बदलाव हो रहे थे, उसमें युवा तुर्कों के दबाव में, खास तौर से जो राजे-रजवाड़े थे, उनका प्रिवीपर्स खत्म हुआ। इस सरकार ने ब्लैकमनी कर्ब करने के लिए और एनपीए के लिए जो कानून बनाये हैं, उन कानूनों को institutionalize किया। मैं उम्मीद करता हूं कि सेठों का राज, जो गलत ढंग से सेठ बने थे, उनका राज खत्म होगा। इसी के साथ मैं इस मर्जर का स्वागत करता हूं। मैं इसके पक्ष में खड़ा हूँ, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Now, Shri Anil Desai.

SHRI ANIL DESAI (Maharashtra): Sir, I rise to support the Bill, the State Bank (Repeal and Amendment) Bill, 2017. This Bill is basically meant to repeal the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of Hyderabad Act, 1956 and further to amend the State Bank of India Act, 1955 as passed by the Lok Sabha. Sir, as has been said by our colleagues here in the House that the State Bank of India and its subsidiaries, the associate banks like Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Mysore, State Bank of Patiala and State Bank of Travancore and State Bank of Hyderabad, the acquisition of the same is being done. The Gazette Notification has been published in February, 2017. The said Bill has been passed in the Lok Sabha and it is here for passage in the Rajya Sabha. As has been said that the State Bank as such had a substantial control over these

3.00 P.M.

banks as far as their capital is concerned, somewhere it is 75 per cent and somewhere 90 per cent. Accordingly, for the purposes of rationalisation of resources, for reduction of cost, better profitability, lower cost of funds leading to better rate of interest, these are the reasons which have been given and the move has been taken forward. The State Bank of India is known to be the biggest bank in India, not only in India, but internationally also, it has a special standing of its own. Largest bank means larger issues, larger problems. As far as these five acquisitions are concerned, I think all of them, internally, as far as their assets and liabilities are concerned, these nitty-gritties have been tackled with, they have been looked into, they have been accommodated and they have been taken over. As far as technology is concerned, State Bank of India need a lauding that they have been doing extremely well and that is the reason why among all nationalised banks taken together in India, State Bank of India has its own standing. It has a different level as to how we treat in banking or in general parlance also. The State Bank of India will be having these associate banks and the major problems would be, and it was touched upon or raised by one of the colleagues while saying that these banks of which acquisition has taken place, the basic thing is, when the entire set up is taken into, assets and liabilities are different things. Technologically and technically, they get their places as where they should get. But the employees' issue, the officers' issue, as far as the higher top brass of the banks are concerned, that is a problem as far as their seniority is concerned, their fitment is concerned, their promotions are concerned. These are the issues which make a lot of effect as far as the working of the bank is concerned when it becomes one entity. That is what has been seen, if not in the banking sector, but in different public sectors, we have witnessed, we have seen that. That affects the morale of not only the entire top brass but down the line too. That affects the outcome. That affects the output or the performance of the bank. The State Bank of India higher management will take into consideration these aspects which are very important for the State Bank of India to take its move further and grow on a larger scale. As far as the State Bank of India is concerned, of late, we have seen the plight of the banking sector as such. The State Bank of India has also got bad loans. What kind of bad loans from these acquired banks have come, that is also an issue that has not been yet made public. If it is made public, then I would like to know that or if the Minister would enlighten us, it will be better. But as far as banking sector is concerned, after nationalisation, which took place in 1969-70, in the real sense, in India, the middle class has come up. That was the best step which was taken by the then Prime Minister and it really helped the economy to grow.

[Shri Anil Desai]

And the banking sector being the mainstay of Indian economy, proved itself with better and better results, but, in the last decade or so, the way bad loans have come up, the way customers of the banks, be it in the name of industrialists or people who had some ulterior interests or the *malafide* interests, those who are now being defined as wilful defaulters, the way this crop has come up in India, that has really shaken the faith of not only the bankers on a big scale in the higher society, but also middle class and people at the lower strata too, for whom the banks were made open by the Government, their faith is shaken, and if that faith is to be rebuilt, this entire thing needs to be taken care of. Now, different things are coming up that some public sector banks are to be merged together. If in India, big loans are to be catered to big industrialists, then, we do not have that mega bank sort of entity. We need to take a pool of some banks, and then, in a consortium, they lend, and then, the issues arise who the lead bank is, who is supporting whom, and then, the criticism starts. These are the issues about which if we make an empirical study, we get to know. The crux of the problem is that banking sector, public sector banks being a Government entity, need to be strengthened. Not only that we are growing, there is no doubt that we are growing; our economy has a good boost. But, if the issue of unemployment is to be addressed, these are the places which the banking industry in the past has taken care of, and strengthened the middle class. If you go by these years, during these thirty years, really, the Indian middle class has come up and fruits of it we have seen how it grew. Not only employment, but on other fronts also, the mergers which are taking place, the concepts, the ideas which are coming up; now, bad banks, which is again an idea which was floated by the hon. Finance Minister in the last fortnight or so, which was discussed on various forums that all public sector banks which are having bad loans, may be transferred once and for all in the bad banks, and then, their stake will be cleared. On the one side, the Government of India has declared that recapitalisation for the banks will take up; more than rupees two lakh crores that will be pumped into the banks. These are the steps which are being taken. But, I think, these measures will not be enough. Unless we go to the core of it and we really work there, this kind of *malafide* intentioned people they creep in. No political influence should be there.

Every aspect of the customer should be treated on merit. A lot many aspects are there which are being evolved in the banking sector. I think, banking sector's health will be gauged by all aspects, and if it is good, then, it will be better for the Indian economy, and by taking every step that will strengthen the banking industry, it will really be a help for the Indian economy to grow. With this, I support the State Banks (Repeal and Amendment) Bill, 2017. Thank you.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Thank you, Sir. What is the purpose of this Bill? The purpose of this Bill is to ratify the closure of subsidiary banks and their merger with the State Bank of India. Sir, I am sorry to state that Parliament has been reduced to such an extent that it has to fulfil the ritual of giving ratification. That is what we are trying; that is what we are discussing. When the Government decided to close down the five subsidiary banks and merge with the State Bank of India, we were told that this would make State Bank of India a world-class bank, and a stronger bank. What is the story now? The story is different. State Bank of India is making losses. Let the Government say that there is no loss in the State Bank of India branches. Hundreds of branches have been closed down in many parts of the country. The Non-Performing Assets have gone up. Many big NPA accounts have gone to the Insolvency Tribunal. Is it not a fact? Let the Government say, 'No, no; everything is fine with the State Bank of India.' You say and let the people understand, let the Parliament understand. But, I am saying that many NPA accounts have gone to the Insolvency Tribunal. The State Bank of India, I am afraid, will make further losses in the coming days. Subsidiary banks, like the State Bank of Travancore and State Bank of Hyderabad, were doing very well. By closing down these banks and merging with the State Bank of India, what benefit did we get? I find there is no benefit. The people in States like Kerala, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Punjab and Rajasthan have lost their regional banks by way of merger of subsidiary banks with the State Bank of India. We find that the Government is in a hurry to do things and then come to Parliament for ratification. Why can't the Government take Parliament into confidence? Why should the Government take decisions behind the back of Parliament bypassing it? After that, you come to Parliament for ratification. Is it good for our democracy? The Government should think over it.

Sir, I can point out that the Government did demonetization overnight. Now the country is facing problems; even today the country is facing problems. The Government hurried with the GST in the name of 'one nation one tax'. Now we see the problems. You understand and I understand the problems.

Sir, the Government brought an ordinance on insolvency action on defaulters. What is the fate of that ordinance? Banks have lost money and no recovery has been made through this measure. If the Government says, 'No, you are saying wrong things', let the Government explain. I am subject to correction. But the banks have lost money and no recovery has been done through this measure. The Government should think over. Sir, the Government should consult Parliament before taking any decision. I wish they reviewed these policies. Merger with the State Bank of India was avoidable. It is my view. But the

[Shri D. Raja]

Government was in a hurry to do it. Now the Government has made it a *fait accompli* because it has been done earlier. Now you ask the Parliament to ratify. The Parliament will ratify it. But why do you do such things? Why should the Government act like that? After all, we are a democracy and we should know how to do things in a democracy. We have Parliament. I consider our Parliament to be a vibrant one. Why do you bypass Parliament? Why do you take decisions without consultations in Parliament?

Sir, finally, I would like to advise the Government to understand that the banks constitute the central nerve system of modern economy. It is not said by me. It was said by the great Lenin. Because he is Lenin, a communist, do not dismiss this statement. Don't dismiss the statement because the banks constitute the central nerve system of modern economy. Don't weaken the central never system, don't weaken the banking sector because the economy will collapse. The former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh and former Finance Minister, Mr. Pranab Mukherjee when they were in this House, they claimed that the fundamentals of Indian economy were strong. When we asked what the fundamentals of Indian economy are, they identified the public sector banks particularly. Now this Government should not try to weaken the banking sector in the name of sab ka saath, sab ka vikas, and finally you want to serve the interests of corporate houses and big big business houses. That is what is happening in this country. So, Sir, we are left with fait accompli, Parliament has to ratify this, but these are the concerns, my party thinks, the Government will have to take note of and consider. With these words, I conclude. Thank you.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (Gujarat): Thank you very much, Sir. My party has asked me to speak on the State Banks (Repeal and Amendment) Bill, 2017 and mainly about the merger of various banks into the State Bank of India. Sir, it is good that in this Amendment Bill, the Clause 2 says that whatever the agreements have been reached in the past will be honoured by the bank or new bank as if that this merger has not happened. सर, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि merger की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण थे? वे कारण अभी तक बताए नहीं गए हैं। वे कारण न तो सरकार ने बताए हैं और न ही मिनिस्टर ने बताए हैं। क्या इन बैंकों की liability बढ़ गई थी, इनका लॉस ज्यादा था, इनका स्टाफ सबसे ज्यादा हुआ करता था या इनकी सर्विसेज़ अच्छी नहीं थीं? ऐसे क्या कारण थे कि एक अच्छे-खासे बैंक, जिसकी एक credibility है, उसके साथ इनको merge किया गया है? वे reasons आपने अभी तक नहीं बताए हैं।

सर, मैं एक दूसरी चीज़ की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहाँ पर जो कुछ कहा गया है, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। सरकार का एक मकसद यह था कि इस देश के अंदर ज्यादा से

ज्यादा आदमी बैंकिंग करे, बैंक के अंदर अपना खाता खुलवाये, वगैरह। इस merger के बारे में at least जो reason और example मेरे पास है, वह मैं बताना चाहता हूं। मेरे पड़ोस का एक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बन्द हो गया। वहां के स्टाफ को दूसरी जगह पर ले जाया गया। अब वह है कि नहीं, यह उसको नहीं पता नहीं है। एक मौका था, एक समय था, जब ज्यादा से ज्यादा रूरल बैंक खोलने पर जोर दिया गया था। उससे रूरल एरियाज़ के अंदर क्या परिस्थिति में बदलाव आया? आज भी हमारे गुजरात के अंदर हालात ऐसे हैं कि कई-कई जगहों पर बैंक 25-30 किलोमीटर दूर पर स्थित हैं। वहां पर बैंकिंग सर्विसेज़ के लिए लोगों को एक-एक दिन गिनकर जाना पड़ता है और फिर उनको यह पता चलता है कि आज मैनेजर नहीं है, इसलिए आज पैसा नहीं आया है। आज भी उन इलाकों में बैंकों की यही हालत है। आपके इस merger से क्या उस स्थिति में सुधार होगा और ज्यादा-से-ज्यादा लोग इसके अंदर खाते खुलवाएंगे? सालों पहले जब यह झोंक चली थी, तब गरीब आदमियों और छोटे-छोटे उद्योग-धंधे करने वाले लोगों को बैंकों की तरफ से लोन या ऋण वगैरह दिए जाते थे। क्या उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी होगी? क्या उसमें तेजी आएगी या फिर वही होगा, जैसा गांधी जी ने एक वक्त यह एक सेंटेंस कहा था कि "मुझे mass production नहीं चाहिए, मुझे production by masses चाहिए?" बैंकिंग का जो concept है, वह लोगों की regional aspirations और rural areas के अंदर उनकी aspirations को satisfy करेगा या फिर देश के जितने भी बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, वे ग्रोथ के नाम पर जितना पैसा मांगेंगे, उतना पैसा उनको लोन के रूप में दिया जाएगा और फिर बैंक अपने हाथ फैलाते फिरेंगे कि हमारा पैसा वापस दो? यह पैसा तो बैंक में अकाउण्ट खोलने वाले कंज्यूमर्स का है। बैंक के मिसमैनेजमेंट से आखिर उन लोगों को क्यों भुगतना पड़े? आप लोग तो बेल आउट का बिल लाने वाले हैं, यानी कि अगर एक बैंक लॉस करता है, तो उसको लॉस में से निकालने के लिए जिनके अकाउंट होंगे, उन अकाउंट होल्डर्स के ऊपर कैप डाले जाएंगे कि आप इतने पैसे से ज्यादा नहीं उठा सकते। गुनाह कोई करे, डिसीज़न कोई ले, पैसा लेकर कोई लेयर करे और उसको भुगतें अकाउंट होल्डर्स। आप उसका क्या करेंगे? इसके जवाब नहीं मिलते हैं। आप उसको एक बहुत अच्छा जामा जरूर पहना सकते हैं कि इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी कैपिटल बढ़ेगी। लायेबिलिटी कितनी बढ़ेगी, वह नहीं पता। जैसा मैने आपको बताया कि सेकण्ड क्वार्टर के अंदर मार्च में 24 सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। उसके पहले सब बैंकों का जो 11 हजार 8 सौ करोड़ रुपये का मुनाफा था, उतना स्टेट बैंक का मुनाफा था। वह तो बिल्कुल ईक्वल हो गया। इन बैंकों का मर्जर करने के बाद स्टेट बैंक एफिशिएंट कैसे हो गया? क्या इसके बारे में कभी किसी ने सोचा, किसी ने कहा और क्या किसी ने हाउस को अवगत कराया है? मैं आपका ध्यान इनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा जो कंसर्न है, वह यह है कि रूरल एरियाज़ के अंदर इसकी ब्रांचें और खुलेंगी और ज्यादा-से-ज्यादा लोगों के पास जो लोन वगैरह है, वह नीचे जायेगा या नहीं जाएगा?

दूसरा यह कि आपके इस मर्जर से जो नीचे ब्रांचें बंद हो गई होंगी और जो भी एग्रीकल्चर या दूसरे किस्म के लोन वगैरह देती होंगी, वहां मनी लॉन्डरिंग की एक्टिविटी और बढ़ेगी। ये सब सवाल मर्जर के साथ जुड़े हैं। आज भी बैंकों का, खासकर जो स्टेट बैंक का आउटरीच है, वह सभी एरियाज़ के अंदर नहीं है। आप उसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ इनका लॉस घटाएंगे या कैपिटल बढ़ाएंगे। हम उन सब बातों के साथ सहमत हैं। लेकिन दूसरी ओर देखने जाओ तो जिस तरह से बड़े-बड़े लोगों के पैसे ले जाकर नहीं देना और आप छोटे अकाउंट होल्डर्स की ब्याज दर घटाते जा

[Shri Madhusudan Mistry]

रहे हैं? मैं अपने पैसे जो डिपॉजिट रख रहा हूं, जितना मेरा ड्यू होना चाहिए, उसकी जगह बैंक मुझे जो सर्विस देते हैं, उसमें आप मुझे पैसा कम दे रहे हैं, क्योंकि आप अपने लॉस की भरपाई हमारे पास से करवा रहे हैं। इन परिस्थितियों के अंदर बैंक के मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल व अकाउंटेबल बनाएंगे या आप उसके अंदर एक एक्शन लेंगे और किस तरह बनाएंगे, उसका क्या ढांचा है और किस तरह से आप आगे जाएंगे? आपने आज यहां पर कोई रूपरेखा नहीं दी है। सवाल यह है कि आज भी करोड़ों लोग जो बैंकों का लाभ नहीं ले सकते, इन मर्जर के हिसाब से उनकी परिस्थिति में क्या फर्क आएगा? शायद अब ऐसा हो जाएगा कि मैं बैंकों को भी मैं डायरेक्शन देने लगूंगा कि आप इस शेयर के अंदर पैसा डालिए, आज फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक ऑफिसर बोलेगा कि इसमें नहीं, दूसरे में लेकर डालो, इसके शेयर प्राइसेज़ नीचे आ रहे हैं तो आप उसको उठाइए। उसको नीचे नहीं जाने दो। बैंकों के पास जितना पैसा डिपॉज़िट है, उसको दूसरी जगह पर रखिए। ये सब चीज़ें अगर होने वाली हैं तो मेरा सवाल यह आता है कि क्या मेरा बैंक के ऊपर विश्वास है? जिस दिन बैंकों के ऊपर से लोगों का विश्वास उठेगा, लोग अपने आप रास्ते खोजेंगे, घर में पैसा रखेंगे, सोना-चांदी खरीदेंगे, ज़मीन के अंदर पैसा डालेंगे। छोटे-मोटे लोग बैंक के अंदर नहीं जाएंगे, वे आज भी नहीं जाते हैं। उस वक्त क्यों जाएंगे? यह स्थिति बहुत असह्य है। आप अपने प्राइम मिनिस्टर को और अपने फाइनेंस मिनिस्टर को यह बताइए कि यह बहुत बड़ा मर्जर है। उसके हिसाब से नीचे के तबकों को आप क्या लाभ देने वाले हैं? ये सवाल हमेशा उनके सामने आता रहेगा। मैं आशा रखता हूं। मैं दूसरी कोई चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता कि कौन से बैंक का कब मर्जर हुआ और कितना मुनाफा हुआ, उसकी कितनी कैपिटल बढ़ी, उसमें से कितने स्टाफ कम हुए और क्या परिस्थिति आने वाली है? मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि बैंकों का यह रुख जो एक बार उस तरफ था बिल cooperative की तरफ था, छोटे cooperatives की तरफ था, individual किसानों की तरफ था, छोटे धंधे वालों की तरफ था, इसको वापस उस तरफ मोड़िए। हज़ारों-करोड़ों रुपए का लोन देने से इस देश में कितनी ग्रोथ होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन गरीबी जरूर बढ़ेगी, इतना मैं जरूर जानता हूं। आज inclusive growth की बात के बजाय ऐसा क्लोज़ सिस्टम हो गया है, जिसके अंदर एक व्यक्ति का बेटा, वह जिस जगह पर है, उसी जगह पर जा रहा है - नीचे से ऊपर उठने वालों की संख्या बहुत कम है। उस सिस्टम के अंदर बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल भी helpful नहीं है, ऐसा मैंने देखा है। आप ये trend बदलेंगे, ऐसी मेरी आशा है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

डा. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश): माननीय महोदय, मैं स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2017 के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं, जिसे लोक सभा ने पहले ही पारित कर दिया है। बैंकों का वित्तीय प्रबंधन अनुशासित हो, व्यवस्थित हो और उसका लाभ उसके खाताधारियों को मिले, उसमें जो विसंगतियां हैं, उन्हें दूर किया जा सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसे राज्य सभा में इसका समर्थन करने के लिए और पारित करने के लिए लाया गया है। हम जानते हैं कि वित्त का प्रबंधन विकसित हुआ तो बैंकों का उदय हुआ। वित्त ही जीवन की प्रणाली को दिशा देता है। हमारे यहां कहा गया है कि "यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः।" जिसके पास वित्त है, वह स्वतः ही कुलीन हो जाता है। "यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः, स एव वक्ता स च दर्शनीयः।" यदि पैसा है तो वह अपने आप ही दर्शनीय है। "स एव वक्ता" मतलब वह अच्छा वक्ता भी हो जाता है। "सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते।" यह जो वित्त है, इसके आने से सभी गुणों का समावेश हो जाता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): आप अपनी स्पीच संस्कृत में भी दे सकते हैं।

डा. सत्यनारायण जटिया: इसलिए इस बैंकिंग प्रणाली को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए जो उपाय किए गए हैं और बैंकों का विलीनीकरण किया गया है। जो पुराने बैंक थे, जिन्हें अपने अस्तित्व के बारे में बड़ा गर्व हुआ करता था, देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद उनकी स्थापना करते समय जिनकी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही होगी, उनका जब merger होने लगा तो एक तरह से जिन-जिन क्षेत्रीय बैंकों का merger हुआ, उन बैंकों के लोगों का बड़ा आग्रह था कि उन बैंकों का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, उसको बनाए रखना चाहिए, लेकिन बड़े कारणों की वजह से, बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है। जैसा कि इस उद्देश्य की पूर्ति में कहा गया है कि "संसाधनों के सुव्यवस्थीकरण, खर्चों की कमी, बेहतर लाभ प्रदाता, निधियों के निम्नतर खर्चों के कारण संपूर्ण जनसमुदाय के लिए ब्याज की बेहतर दर, उत्कृष्ट उत्पादकता और उपभोक्ता सेवा के प्रयोजनों के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से बीकानेर और जयपुर स्टेट बैंक, मैसूर स्टेट बैंक, पटियाला स्टेट बैंक, त्रावणकोर स्टेट बैंक और हैदराबाद स्टेट बैंक के साथ कारोबार अर्जित करने के लिए, जिसके अंतर्गत उनकी आस्तियां और दायित्व भी हैं, बातचीत शुरू की।" इस प्रकार उन सारे बैंकों का विलीनीकरण करने का उपाय किया। इसके लिए एसबीआई के केन्द्रीय बोर्ड और आरबीआई के अनुमोदन के साथ जो क्षेत्रीय बैंक थे, उनके साथ विचार-विमश करने के बाद उनके विलीनीकरण का काम हो गया। यह कहा गया कि बैंकों का कारोबार 1 अप्रैल, 2017 से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किया जाएगा। बात तो, जो व्यवस्था दी गयी है, जो कुछ कर लिया गया है, उसका अनुमोदन करने की है और अनुमोदन करते समय, चूंकि हम राज्य सभा में हैं तो इन सारी बातों के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जो बातें कही गई हैं, उन बातों को पूरा करने के लिए, हमें विशेष उपाय करने पड़ेंगे। यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि पहले बैंकों के दरवाजे बहुत सीमित लोगों के लिए खुले होते थे। वहां पर जो दरबान खड़ा होता था, वह बड़े चाक-चौबंद रूप में वहां खड़ा होता था। सामान्य जन को उस तरफ झांकने के लिए भी कोई मौका नहीं मिल पाता था। सरकार की अपनी योजनाओं के कारण अब बैंकों का सामान्यकरण हो गया है और आम जन और जनसामान्य के लिए जनधन खाते शुरू हो गए हैं, करीब 31 करोड़ खाते शुरू हुए हैं। इस देश की आबादी में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राय सभी लोगों और सभी परिवारों के बैंक खाते उसमें प्रारम्भ हुए होंगे, तो आज जनसामान्य के लिए बैंक खाते खुले हैं और उनका लाभ भी हुआ है। सरकार की योजनाओं का जितना भी अनुदान जाता था - एक समय यह कहा जाता था कि हम यहां से एक रुपया भेजते हैं, तो उन तक 15 पैसे पहुंचते हैं। अब वह जो सारा अनुदान और जो सारी सहायता है, वह सारी सहायता इन बैंकों में जनसामान्य के खाते खुलने के कारण से सीधे लाभ पहुंचने की व्यवस्था कर दी गई है। किंतु यह काम करने के लिए और इसे समझने के लिए कि हमने जो कहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, हमें और उपाय करने पड़ेंगे। अब जनसामान्य का जो पैसा है, वह जिस तरह से पैसा बचाकर बैंकों में डालता है, उसको जो ब्याज मिलता है, वह बहुत ज्यादा नहीं होता है। उस सीमित ब्याज में भी सुरक्षा प्राप्त करते हुए, वह बैंकों में अपना पैसा रखने की कोशिश करता है। इसके कारण इतना पैसा इकट्ठा होता है। आज एन.पी.ए. के नाम पर और बड़े कारोबारियों के संबंध में देखने में आ रहा है कि उस पैसे का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो जाता है तथा जो जनसामान्य का पैसा

[डा. सत्यनारायण जटिया]

है, उसका लाभ उसको नहीं मिल पाता है। जनसामान्य को लाभ बैंकों की ब्याज दरों के बढ़ने से मिलता है और अब ब्याज दर 0.10 परसेन्ट, 0.2 परसेन्ट बढ़ती है। बैंकों से लोन लेते हुए या होम लोन लेते हुए जो रियायतें मिलती हैं या जो उसको सुविधा मिलती है और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और बैंकों के द्वारा जो होम लोन की बातें हैं या बाकी के लोगों के लिए या वृद्ध नागरिकों को सुविधाएं देने की बात है, उसकी अब शुरुआत की गई है। इस विधेयक में हम कुछ अच्छा देख रहे हैं और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस विधेयक के आ जाने के बाद निश्चित रूप से जनसामान्य के जीवन में थोड़ा तो सुधार होगा और बेहतर सुविधा करने के लिए हम एक समय सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे थे, वह सुनहरा कल तो आया नहीं, किन्तु यह कहा जा सकता है कि हम बेहतर कल की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए देश की सारी व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन करने की दृष्टि से भी बैंकिंग की जो प्रणाली है, उसे और अच्छा और चाक-चौबंद बनाने के लिए उपाय किए गए हैं और उससे संबंधित सारे बैंकों के और नियमों के आधार पर विलयनिकरण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए और उसे विधिक बनाने के लिए, हमें जो भी उपाय करने चाहिए, वह हमने इस विधेयक में किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस विधेयक का जो उद्देश्य है, वह निश्चित रूप से पूरा होगा और एक नया क्षितिज बनेगा जिससे कि हम कह सकते हैं कि हम बेहतर कल की ओर बढ़ रहे हैं। इतना कहते हुए कि यह जो विधेयक आया है वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल होगा, इन पंक्तियों के साथ कि-

"क्षितिज तक प्रत्येक दिश में, हम उठे नव प्राण भरने,
नव सृजन की साध ले, हम उठे निर्माण करने,
साधना के द्वीप शुभ हों, ज्ञान का आलोक छाए,
नष्ट तृष्णा के तिमिर हों, धाम अपना जगमगाए।"

इस बिल के लिए, इस विधेयक के लिए मेरा अभिनन्दन, बहुत-बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): धन्यवाद। श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): माननीय, उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2017 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, इसमें जिन पांच बैंकों का विलय हो रहा है, उनकी सारी सम्पत्तियों का, परिसम्पत्तियों का भी विलय हो रहा है। साथ ही उनके कर्मचारियों और अधिकारियों का भी विलय हो रहा है। इसमें बैंकों के जो संस्थापक थे और बैंकों ने जो क्षेत्रीय स्तर पर विकास किया था, चाहे मैसूर में हो या जयपुर में हो, लोकल स्तर पर हो या ग्रामीण स्तर पर हो। उनकी गांवों में शाखाएं थीं, लोगों का उनके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास जम गया था। उनका कारोबार भी अच्छा खासा बड़ा था और उन इलाकों की काफी उन्नति हुई थी, चाहे पंजाब को देख लीजिए या किसी और इलाके को देख लीजिए, लेकिन इन बैंकों का एसबीआई में विलय होने के बाद ये स्टेट बैंक में आ जाएंगे। जो ग्रामीण स्तर के खातेदार थे, उनका क्या हाल होगा, उनकी स्थिति क्या होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों की आस्था बैंकों के संस्थापकों में थी। जो लोग देश के महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन लोगों ने इन बैंकों की स्थापना

की थी। ऐसा करने से उनका नाम खत्म हो जाएगा। लोक सभा में 21 जुलाई, 2017 को माननीय वित्त मंत्री जी बिल लाए, उसके बाद जो बैंकों को जन्म देने वाले थे, उनका नाम विलुप्त हो गया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की है, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बैंकों की आवश्यकता है। आज भी साहूकार के कर्ज से लोग बहुत दबे हुए हैं, लोग बहुत परेशान हैं और उनको बैंकों से ऋण न मिलने के कारण साहूकारों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। देश में नोटबंदी हुई, लोगों ने बैंकों में अपना पैसा जमा कर रखा था, लोगों को नोटबंदी के बाद आज भी उनका जमा पैसा वापस नहीं मिल रहा है। अगर वह बैंक से एक लाख रुपया निकालना चाहते हैं, तो बैंक के पास पैसा नहीं है। एटीएम में पैसा नहीं है, इस तरह की तमाम खबरें रोज अखबारों में छप रही हैं। इन पांच बैंकों के एसबीआई में विलय होने से एसबीआई को तो फायदा दिख रहा है कि उसका नाम विश्व स्तर पर पहुंच जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब एसबीआई के 58000 एटीएम हो जाएंगे, 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हो जाएंगे, 37 लाख करोड़ से ज्यादा इनकी परिसम्पत्तियां हो जाएंगी और स्टेट बैंक की शाखाएं 22,500 से ज्यादा हो जाएंगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े आए हैं, उनकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। जब से विलय की चर्चा चली है, तब से भारतीय स्टेट बैंक ने नौकरियां कम कर दी हैं। जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, उनके अनुसार 10,000 से ज्यादा नौकरियां खत्म हो गई हैं। एक तरफ हमारे देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ बेरोज़गारी बढ़ने से टेररिस्ट, नक्सलवादी संगठन बढ़ रहे हैं और तमाम लोग बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं। आज सुबह ही बेरोजगारी का सवाल आया था, उसका माननीय मंत्री जी जवाब नहीं दे पाये। उन्होंने बताया कि नवम्बर, 2016 के बाद से मेरे पास बेरोजगारी के आंकड़े नहीं हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और उसका असर इस पर पड़ेगा। सितम्बर महीने तक 11,382 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे और इन्होंने 11,382 के एवज़ में 789 भर्ती की है। बैंकों के विलय के बाद स्टेट बैंक की शाखाएं तो बढ़ी हैं, लेकिन आज भी नोटबंदी के बाद जो सहकारी बैंक हैं, उनमें पुराना पैसा लोगों का पड़ा हुआ है, वह पैसा गरीबों का है, किसानों का है, अभी तक उसका कोई हल आरबीआई ने नहीं निकाला है। जिन बैंकों को आप मर्ज कर रहे हैं, उनके बड़े-बड़े जो ऋणदाता हैं, उनसे वसूली कैसे होगी, उनके तमाम मामले फिर से फंसेंगे। जिस दौरान विलय की प्रक्रिया चली, लाखों लोगों की ऋण की फाइलें हैं, चाहे वे छात्रों की हों, चाहे शिक्षित बेरोजगार लोगों की हों, जैसे मुद्रा लोन योजना चलाई या तमाम योजनाएं चलाईं, वे सारे काम बंद हो गए। उससे लोगों पर बहुत बड़ा असर पड़ा।

महोदय, माननीय सदस्यों ने जहां तक जन-धन खातों की चर्चा की, तो मैंने देखा कि माननीय प्रधान मंत्री जी के बयान के बाद, देश में बहुत चर्चा हुई कि जन-धन खाता खोलने से लोगों के एकाउंट्स में पैसे जमा होंगे। ऐसा समझकर लोगों ने ज़ीरो बैलेंस पर जन-धन खाता खोल लिया। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। इसका असर यह हुआ कि लोगों के पास जो अपनी छोटी-छोटी बचत के रु.1,000/-, 2,000/- या रु.3,000/- घरों में थे, वे भी उन्होंने अपने खातों में जमा करा दिए। इसके बाद बैंकों ने नियम बना दिया कि जमा करने, साल में 36 से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स करने या कम बैलेंस होने पर भी उनके एकाउंट से पैसा काटा जाएगा। पहले तो ऐसा नियम नहीं था। इसका असर यह हुआ कि लोग असमंजस में पड़ गए और अब जो पैसा उनका एकाउंट में

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

जमा है, वह भी नहीं निकल रहा है। जन-धन खाते में जिनका पैसा रु.1,000/-, 2,000/- या रु.3,000/- रह गया, उसमें से भी पैसा काटा जा रहा है। गरीब आदमी को जानकारी नहीं है, लेकिन अब पता चला कि नियमों में परिवर्तन करने से कई हजार करोड़ रुपयों का फायदा बैंकों और भारत सरकार को हुआ। यह पैसा इन्हीं गरीब आदमियों का था, जो बैंकों में लैप्स हो गया। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि यही तो काला धन है।

महोदय, दूसरी तरफ अभी हाल ही में कुछ बड़े कारोबारी बैंकों का पैसा लेकर विदेश चले गए। इस प्रकार की तमाम खबरें सोशल मीडिया पर हैं कि फलां इतने हजार करोड़ रुपए लेकर देश से बाहर चला गया और फलां इतने हजार करोड़ रुपए लेकर देश से भाग गया। इससे बैंकों का बहुत नुकसान हुआ। मैं समझता हूं कि उन बैंकों में चाहे भारतीय स्टेट बैंक हो या अन्य दूसरे बैंक हों, जिनसे वे पैसा लेकर देश से बाहर चले गए हैं, इसके कारण उन बैंकों की माली हालत खराब हो गई है। जब इन बैंकों का ऑडिट होता है, तो उन्हें पता रहता है कि हमारे बैंक की क्या स्थिति है। उसे देखकर उन बैंकों को खुद ही अपनी माली हालत को ठीक करने का काम करना चाहिए था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब किसी का बेटा बीमार होता है और जब वह अपना पैसा निकालने के लिए एटीएम जाता है, लेकिन एटीएम में पैसा नहीं होता, तो वह खाली हाथ लौट आता है। इसके बाद वह साहूकार से पैसा लेने का काम करता है। इससे उसकी हालत बहुत खराब होती है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि बैंकों के ऊपर से धीरे-धीरे जनता का विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि बैंक ग्रामीण स्तर से उठकर तहसील और ब्लॉक स्तर पर जा रहे हैं। जिन बैंकों की शाखाएं ग्रामों में खोली थीं, वे धीरे-धीरे बंद हो रही हैं और अब उनकी शाखाएं तहसील और ब्लॉक स्तर पर हैं। गरीब आदमी के पास गांव से तहसील और ब्लॉक स्तर पर जाने के साधन नहीं हैं और जब वह बीमार है, तो 10 या 20 किलोमीटर कैसे जाएगा, वह कैसे ट्रांजेक्शन करेगा? इस समय जो हालात हैं, आपके बैंकों का जो नेटवर्क है, उसका अक्सर सर्वर डाउन रहता है। पहले मैन्युअली काम होता था, तो आसानी से काम हो जाता था, लेकिन अब सर्वर डाउन होने के कारण जिन विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा की फीस जमा करानी है, वे नहीं करा पाते हैं, क्योंकि सर्वर डाउन होता है। किसान या फार्म भरने वाले विद्यार्थी हों, उन तमाम लोगों पर इसका असर पड़ता है। आज मान लीजिए बैंक गए और वहां सर्वर डाउन है, तो कोई कामकाज नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन्हें अपना नेटवर्क ठीक करना होगा और बैंकिंग व्यवस्था ठीक करनी होगी। जो बैंक घाटे में जा रहे हैं, उन्हें भी घाटा दूर करने के प्रयास करने होंगे।

महोदय, नोटबंदी के बाद बैंकों के कितने मैनेजर पकड़े गए, इस बारे में अभी माननीय सदस्य ने चर्चा की और बताया कि सीबीआई ने कितने बैंकों के मैनेजरों और अन्य अधिकारियों को पकड़ा। इन्होंने नोटबंदी के बाद बहुत घपला किया और गरीब लोगों को लूटने का काम काम किया। इस प्रकार की तमाम समस्याएं हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें जो खामियां हैं, उन्हें दूर किया जाए। चूंकि सरकार ने निर्णय लिया है और 1 अप्रैल से विलय का काम शुरू हो गया है, इसलिए इनकी जो देनदारियां हैं, जो किसानों और ग्रामीणों की देनदारियां हैं, उन पर विचार करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for allowing me to put forth my views on the Bill to Repeal the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and the State Bank of Hyderabad Act, 1956. This merger has already taken place. It has been notified in the Gazette and it came into existence eight months earlier. So, the merger has already taken place. Now, a Bill has been brought to repeal the State Bank of India Act, 1955.

Sir, I don't wish to delve very deep into the issues, but there are some apprehensions that need to be addressed. One major issue is the increased number of customers. To give one practical example, when two branches of IOB were merged at my place, all of a sudden, 70,000 customers were added to one branch. Already there were too many customers and suddenly on one day, 70,000 more customers were added to that one single branch. That caused a lot of agony to both the bank employees as well as the customers. We had untold sufferings. Every day that we went there, the staff would shout at us. Practically, it was impossible to handle so many accounts that were added all at once. So, I am very much unhappy about this. I am curious to know as to how five associate banks were merged with the State Bank of India when State Bank is already overloaded with work. Most of the Government employees and pensioners have their accounts with the State Bank of India. People trust the State Bank of India and believe that the State Bank of India is the safest place to deposit their money with. So, it is already over-burdened. Now, one day I visited a nationalized bank. The Manager came up to me and said that a lot of education loans had not been repaid. She asked me to raise the matter with the Finance Minister and tell him that they were not able to perform daily transactions or collect pending loans because people gave some address and when they went there to look for them at the address, they found nobody there. To that I said, 'you have let off all big industrialists and the violators, but are going after small borrowers who may have borrowed one, two or three lakh rupees'. I can give you the example of a farmer at Kilanatham village in my district, who had borrowed ₹ 90,000. He repaid ₹ 70,000, but when he was not able to repay the remaining ₹ 20,000 on time, the Bank Manager, Mr. Perumal, harassed him and asked the farmer to sell off his wife's *mangalsutra* and pay to the bank. The farmer went and borrowed the money, deposited it at the bank and then hanged himself. He was a very small farmer. This is the reality. I wonder whether the merger would cause the bank to flourish overnight. Pensioners and very aged people would be left standing in queues. Many of them have not forgotten the effects of demonetisation. When we enter rural areas, people say that for just ₹ 500 or ₹ 1000, they have stood in long queues during the demonetisation days. So, they have not forgotten that experience. I can say this since

[Shrimati Vijila Sathyananth]
I have travelled deep into rural areas. The same thing is happening now. For instance, the State Bank of Travancore was doing excellent business in my place, but now it has been merged with the State Bank of India, which is already over-burdened. So, what is the practical thing or the strategy which the Government has initiated or taken to organise this pattern of day-to-day transaction? Many people, even I know them, do not know how to use ATMs. Many people have not got ATM cards yet. I am speaking about the rural people, the poorest of the poor. They do not know how to use ATMs. So, they have to stand in queues. During the first week of every month, there are long queues going up to the road near the bus stand. I have seen it practically. So, how will people take out money? Then another thing happened. Suddenly, there was flashing news that four or five banks are going to merge into Canara Bank. People wondered, "What will happen with our money?" They went to their respective banks to take out their money. ...*(Interruptions)*... Suddenly five banks were going to merge together.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please conclude.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Now, the same mind is there with people and they have apprehensions that suddenly banks will be merged and their money will be gone and they will be given bonds in place of their money. Let the Government be very clear to tell people the Government is not going to do anything with their money and the Government is not going to take their money. I seek your indulgence and also seek Government's reply to this question that nationalised banks will not be privatised and our money will be safe. Thank you.

श्री महेश पोद्दार (झारखंड): उपसभाध्य महोदय, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं इस बिल के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं स्टेट बैंक के साथ मैं कुछ भावनात्मक रूप से भी जुड़ा हुआ हूं। चूंकि, जिस जमाने में कई बैंक्स, चाहे राष्ट्रीयकृत बैंक हो, लेकिन शुरुआती दौर में यदि किसी ने मेरी व्यक्तिगत रूप से मदद की थी, तो वह स्टेट बैंक था। आज से चालीस साल पहले प्राइवेट बैंक्स बहुत ही कम थे। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि छोटी जगहों पर, पिछड़े इलाकों में स्टेट बैंक की बड़ी अजीब स्थिति है, इसे लोग सरकार ही मानते हैं। उन लोगों को कानून की परिभाषा का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। वे लोग स्टेट बैंक को रिज़र्व बैंक ही मानते हैं। वे मानते हैं कि स्टेट बैंक से काम करना, रिज़र्व बैंक से काम करना या सरकार से काम करना एक जैसा ही है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इनकी ownership का मामला भी बड़ा अजीब-सा है, जैसे मोनालिसा की मुस्कान के बारे में रहस्य है, ऐसे ही कुछ लोग स्टेट बैंक को सरकारी बैंक मानते हैं, कुछ लोग निजी बैंक मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि यह इतना बड़ा बैंक है, जैसे सारी दुनिया का सबसे बड़ा बैंक हो, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है।

महोदय, यह बात सही है कि यह बैंकों के विलय से संबंधित पहला मामला नहीं है। 1927 में अंग्रेज़ों के जमाने में तीन Presidency Bank — Bank of Calcutta, Bank of Madras और Bank of Bombay को मिलाकर एक Imperial Bank of India बनाया गया था और जब आज़ादी मिली, तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। अतः मैं कहना चाहता हूं कि बैंकों के विलय की परंपरा चली आ रही है और दिनोंदिन यह बैंक मजबूत होता जा रहा है। अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा और चिंता व्यक्त की कि क्या स्टेट बैंक में विलय के बाद यह बैंक कमजोर हो जाएगा? मैं समझता हूं कि शायद ऐसी आशंका निराधार है, कमजोर होने वाली कोई बात नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी आंशका व्यक्त की कि उनके बैंकों के deposits गायब हो जाएंगे, लेकिन already विलय हो चुका है, काम चल रहा है, deposits भी सुरक्षित हैं, उनके कर्मचारी भी सुरक्षित हैं और सारे stakeholders भी सुरक्षित हैं, कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि आने वाले समय में इन विलयों से शायद हमें एक ऐसी सीख मिलेगी, एक उदाहरण मिलेगा, जब हो सकता है कि विलय के मामले में हम और अधिक निर्णय लेने में सक्षम होंगे कि विलय उचित है या नहीं।

महोदय, रजवाड़े चले गए, लेकिन उनके बैंक्स नहीं गए थे। अब समय आ गया है कि उनके बैंक्स चले जा रहे हैं और स्टेट बैंक में मिल रहे हैं। मैं इस पर ज्यादा डिटेल में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जयराम रमेश जी ने सही बात कही कि यह पांच बैंक्स के 11,800 करोड़ का नुकसान और स्टेट बैंक का मात्र 10 हजार करोड़ का फायदा, यह बड़ी विडंबना थी कि एक बैंक, जिसकी और सब शाखाएं नुकसान कर रही है और वह खुद profit कर रहा है और उस पर इनकम टैक्स भी दे रहा है। यह एक विडंबना की स्थिति थी और मैं समझता हूं कि उसको दूर करना बहुत आवश्यक था।

महोदय, consolidation के लिए और बैंक्स की ताकत बढ़ाने के लिए दुनिया भर में प्रयास होते रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि हम इस विलय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पूरे विश्व में बैंकिंग क्षेत्र में कुछ नई जरूरतें महसूस हो रही हैं। Telecommunication और IT Sector के माध्यम से तकनीक के बहुत सारे नए-नए तरीके निकल रहे हैं, नए-नए आयाम खुल रहे हैं। इसके कारण बैंकिंग करने का तरीका और बैंकिंग सेक्टर से अपेक्षाएं भी बहुत बदल रही हैं। अब जब बैंकिंग क्षेत्र के नियम-कानून बदल गए, तो risk management की जरूरतें भी बदल रही हैं। बैंकिंग का एक मूलभूत सिद्धांत है कि जहां लोन है, वहां खतरा भी होगा। यह banking business का एक हिस्सा है, जिसे हम नकार नहीं सकते हैं। हां, बदलते वक्त के साथ इसका रूप बदलता है, इसकी मात्रा बदलती है, इसका volume बदलता है। इसके framework, architecture और इन सारी चीज़ों की requirement भी काफी बदल गई है। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि सारे विश्व के बैंक्स के 2008 के meltdown के बाद यह स्पष्ट हुआ था कि भारत की banking industry को उस समय भी एक मजबूत banking industry कहा गया था। लोग स्वीकार करते थे कि SBI के risk management का तरीका, क्षमता और उसका architectural framework और बैंकों की तुलना में काफी मजबूत और modern है।

महोदय, स्टेट बैंक इतना बड़ा बैंक है और अगर हम इसके अनुषंगी बैंकों को जोड़ लें, तो हम देखेंगे कि शायद इसकी पहुंच देश के कोने-कोने तक है। इतनी शाखाओं के बावजूद अगर हम यह कहें कि इसमें वर्षों पहले दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट में एक घोटाला हुआ था कि एक फोन कॉल पर पैसे निकल गए थे, तो स्टेट बैंक में इसके इतने बड़े होने के बावजूद इस तरह के बहुत सारे घोटाले

[श्री महेश पोद्दार]

कम हुए हैं। यह एक संतोष का विषय हो सकता है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि आज के दिन जब बड़े-बड़े लोग defaulters हो रहे हैं, तो हमें यह भी सोचना है कि हम उद्यमिता को भी नहीं मारें। एक blanket रूप में कह देना बहुत आसान है कि बड़े लोगों को लोन मत दो, ये भाग जाते हैं, लेकिन महोदय, लाखों लोगों ने लोन लिया है और भागे हैं चंद लोग। लाखों लोग उद्यमिता का परिचय दे रहे हैं। कृपया हम जब इस पर बात करें, तो उन लखों लोगों की बात करें, जो अपनी उद्यमिता से इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। हम उनकी ओर भी देखें। जब इस तरह से blanket रूप में सबके लिए कहा जाता है, तो उन पर क्या गुजरती होगी, उनकी सदनीयती पर क्या गुजरती होगी, हम इस बात को भी अवश्य देखें।

महोदय, मैं तो समझता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग प्रणाली को मज़बूत करने में यह विलय फायदेमंद होगा। यदि हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो किसी देश में चार-पांच बड़े बैंक्स होते हैं, जबकि हमारे यहां 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। हमारे यहां बहुत सारे निजी बैंक्स हैं, non-finance banks हैं, local banks हैं, co-operative banks हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं। ये विश्व की अच्छी सुविधाओं को नीचे तक पहुंचाने में कितना सफल हो रहे हैं, इसका आकलन होना चाहिए।

महोदय, जब यह बात होती है कि राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के विलय पर विचार हो रहा है, तो पता नहीं कहां से यह बात हो रही है कि स्टेट बैंक का निजीकरण कर दिया जाएगा। मैं भी कुछ जानने-पढ़ने की कोशिश करता हूं, तो मेरे ख्याल से आज तक स्टेट बैंक के विषय में निजीकरण का कोई प्रस्ताव या कोई चर्चा कहीं नहीं है, ऐसा मैं समझता हूं।

महोदय, हमें यह भी समझना होगा कि विलय से एकीकृत SBI की ताकत में क्या इज़ाफा होगा। विलय के बाद करीब 37 लाख करोड़ की परिसंपत्ति के आधार पर यह दुनिया के Top 50 Banks में शामिल हो जाएगा। इसके ग्राहकों की संख्या तो बढ़ेगी ही, इसके कर्मचारियों की संख्या भी 2 लाख 70 हजार हो जाएगी। And, yes, it is a challenge to manage so many employees. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक विशेषता और भी है, जैसे अभी स्थानीयता के बारे में बात हो रही थी, तो हर स्टेट में इसके जो लोकल बोर्ड्स होते हैं, वहां स्थानीयता का तड़का ये लोकल बोर्ड्स ही देते हैं, और स्थानीय नीतियों एवं आवश्यकताओं के हिसाब से, लोकल या स्टेट लेवल पर अपनी नीतियों को या अपने local flavor को वहां के बैंकों में introduce करते हैं।

महोदय, कुछ सावधानियों की भी दरकार है, क्योंकि कोई-कोई अपने खर्चों में कटौती और सहयोजन तभी अमल में ला सकती है, जब सहयोगी बैंकों के कोर्स का भी विलय कर दिया जाए और हम सब अपेक्षा करते हैं कि जल्दी ही यह होगा। यह सब इसलिए किया जा रहा है, ताकि स्टेट बैंक में ताकत आ जाए और जो नुकसान हो रहा है, तो अतिरिक्त खर्चा हो रहा है, वह कम हो। अभी हमारे मिस्त्री साहब ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बंद हो गया है, यह बात सही है कि जब खर्चे कम किए जाने की बात हो रही है, तो कुछ ब्रांचेज़ बंद भी होंगी, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक बात और भी कही, जिस पर हमें गौर करना चाहिए कि उसके कर्मचारी निकाले नहीं गए, बल्कि उसके कर्मचारियों को कहीं न कहीं ट्रांसफर कर दिया गया। उसके सारे स्टेकहोल्डर्स, डिपॉज़िटर्स, ग्राहक

4.00 P.M.

और एम्प्लॉइज़, सब सुरक्षित रहें, ऐसे में केवल विरोध करने के लिए हम विरोध करें, यह उचित नहीं होगा।

महोदय, मैं समझता हूं कि जब इस देश की आर्थिक व्यवस्था और बैंकिंग व्यवस्था अंदर ही अंदर कमज़ोर हो रही थी, तो उसे restructuring का नाम दे करके किसी तरह से ढका जा रहा था। मैं समझता हूं कि अब वह समय आ गया, जब सरकार ने बहुत स्पष्ट निर्णय लिया। Restructuring के नाम पर खराब कर्जों को दबा देने की जो प्रवृत्ति थी, उसको 2015 में रिव्यू करके सरकार सामने लाई है और जब बीमारी सामने आ ही गई है, तो इसका इलाज भी होगा और इसके लिए कुछ कड़े निर्णय भी लिए जाएंगे और लिए जा भी सकते हैं, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKENDU SEKHAR RAY): Now, Dr. Anil Agrawal; this is your maiden speech. You will get 15 minutes as per the rules.

डा. अनिल अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया। महोदय, आज जिस बिल पर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, ऑलरेडी बैंकों का मर्जर हो चुका है, यह लागू हो चुका है और विभिन्न बैंकों की ब्रांचें बहुत अच्छे से कार्य भी कर रही हैं। कुछ एक-आध जगह को हम छोड़ भी दें, तो ज्यादातर जगहों पर संतोषजनक कार्य हो रहा है। स्टेट बैंक की ब्रांचेज़ हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा हैं और अब तो इनकी संख्या और भी बेहतर हो गई है। इसकी ब्रांचेज ग्रामीण स्थलों में भी हैं। मेरे साथियों ने अभी बताया कि रीज़नल बैंक, जैसे स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर या स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की जो बड़ी ब्रांचेज़ थीं, वे as it is वर्क कर रही हैं, केवन उनका नाम बदल कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ है।

महोदय, मैं एक चीज़ और भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास इन पांचों बैंकों के अधिकांश शेयर पहले से ही थे, इसलिए यह केवल एक फॉर्मल मर्जर है। ऑलरेडी इनमें वर्किंग भी शुरू हो चुकी है, इसलिए इसमें कोई बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। लोक सभा तो इसको पहले ही पास कर चुकी है और हम लोग अधिकांशतः precautions की बातों पर ही चर्चा कर रहे हैं। महोदय, जो बैंक मर्ज किए जा रहे हैं, उनकी धनराशि, बैंक लोन, एनपीए इन सबमें सुधार आएगा। जब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज़ होंगे, तो परिस्थितियां और भी बेहतर होंगी, उनका एनपीए घटेगा और उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। अभी तक जितने banking institutions हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर काम कर रहे हैं, उनमें सबसे बेहतर वर्किंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रही है। तो मुझे लगता है कि जो छोटे बैंक्स उसमें मर्ज़ हो रहे हैं, वे उसको फॉलो करेंगे और बेहतर वर्किंग होगी। बैंक का साइज़ बड़ा हो जाने से उसमें कैपिटल की भी ज्यादा सुविधा मिलेगी और मुझे लगता है कि इससे money lending की जो cost है, वह भी better हो जाएगी। हमारे अपने जो depositors हैं, शायद उनको भी हम लोग बेहतर rate of interest दे पायेंगे।

[डा. अनिल अग्रवाल]

महोदय, एक और बात है। मेरे कई दोस्तों ने बैंक के employees के बारे में बताया है। मुझे लगता है कि अभी तक किसी भी employees के बारे में, जैसे कि पोद्दार साहब ने कहा, कहीं भी किसी को हटाने की या उनको किसी भी प्रकार की असुविधा की कोई खबर नहीं है। हर जगह, जो दूसरे बैंक्स के कर्मचारी थे, उनका successfully merger हो गया है और वे स्टेट बैंक के अपने जो दूसरे साथी हैं, मित्र हैं, उनके साथ मिल कर अच्छा काम कर रहे हैं।

मैं इसमें एक बात और भी बताना चाहूंगा। आजकल बैंकिंग में सबसे ज्यादा जो withdrawal है, वह ATM के माध्यम से हो रहा हैं। जब ये पांचों बैंक्स मिल जायेंगे, तो ATMs की संख्या बहुत अधिक बढ़ जायेगी और जो queue लगने की एक बात कही गयी है, उसमें बहुत कमी आयेगी। आज एक बैंक से दूसरे बैंक में जाने में भी, withdrawal करने के लिए लोग ATM का ही प्रयोग कर रहे हैं।

महोदय, जहां तक बैंक में fraud होने की बात है, तो यह हम सबको विदित है कि कुछ लोगों ने बैंकों में fraud किया, लेकिन जैसा कि सब जानते हैं कि उसका प्रतिशत काफी कम है और अच्छे उद्यमी भी इस देश में हैं, जो बहुत ईमानदारी के साथ तथा बहुत निष्ठा के साथ उनको जो लोन मिलता है, उसका repayment कर रहे हैं। इसके साथ ही ऐसे भी लोग हैं, जिन्होंने शायद जितना लोन लिया है, उससे भी अधिक अब तक ब्याज की धनराशि बैंक को चुका रहे हैं। तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर कुछ खराब लोग हैं, जिन्होंने बैंकिंग व्यवस्था को खराब किया है, तो अच्छे लोग भी हैं। जब तक बैंक का सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, इतिहास गवाह है कि किसी भी देश में प्रगति नहीं हो सकती। हमें केवल यह निश्चित करना होगा कि जो बैंक लोन दे रहे हैं, वे उनकी जांच-पड़ताल भली-भांति कर लें और मुझे लगता है कि अगर बैंक इस काम को बखूबी कर लेंगे, तो किसी भी प्रकार से उनके बैंक में NPA नहीं होगा।

महोदय, मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूंगा। बैंक का साइज़ बड़ा होने से, employees अधिक होने से, जो आजकल बैंकिंग में additional services शुरू हो गयी हैं, जैसे Insurance, Mutual Funds हैं, उन सब की भी हम better देख-रेख कर सकते हैं। यह बैंक्स का additional source of profit होगा, additional source of services होगा। तो मुझे लगता है कि हर प्रकार से हम लोगों को फायदा ही मिलेगा।

महोदय, अभी जब इस बिल पर चर्चा की शुरुआत हुई, तो श्री रमेश जी ने कहा कि bigger is not always better, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की निष्ठा और सरकार की कार्यप्रणाली बहुत ही पारदर्शी है और यह इस बार definitely prove होगा कि bigger is not always better, but at least in this case, it will be much-much better.

महोदय, स्टेट बैंक की वर्किंग में, जैसा मेरे सभी दोस्तों ने बताया, साथियों ने बताया, उसका प्रॉफिट सबसे अधिक था। लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट स्टेट बैंक का रहा है। तो इसका indirectly मतलब यह है कि स्टेट बैंक की वर्किंग, उनके बाकी पांच subsidiary banks की जो working है, उससे better रही है। जो अधिकांश स्टाफ है, वह originally स्टेट बैंक का ही है, बाकी की संख्या बहुत कम है। तो बड़े बैंक के जो employees हैं, उनकी प्रथाओं को, छोटे बैंक्स जो मर्ज हुए हैं,

जैसे, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, वे उसको follow करेंगे।

महोदय, इस देश में गंगा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है किं गगा में जब छोटी नदियां मिलती हैं, वे भी पावन हो जाती हैं और गंगा बन जाती हैं। तो मुझे लगता है कि जो छोटे बैंक्स इसमें मर्ज़ हो रहे हैं, वे भी स्टेट बैंक की better practices को follow करेंगे और वे एक better bank के रूप में कार्य कर सकेंगे। मैं इसमें यह भी add करना चाहूंगा कि हमारे जो छोटे बैंक्स हैं, जिनके employees better work कर रहे हैं, मुझे लगता है कि स्टेट बैंक के भी जो employees हैं, वे उनके experiences का फायदा लेंगे और वे भी better work करेंगे।

महोदय, यह एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि स्टेट बैंक का साइज़ अब international level पर दुनिया के जो सबसे बड़े 50 बैंक्स हैं, उनके जैसा हो गया है। जब आप internationally business करते हैं, उसमें उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। इसे हमारे जो बड़े एक्सपोर्टर भाई हैं, बड़े industrialists हैं, वे बखूबी समझ सकते हैं। इसमें एक बात और है, जो दूसरे लेवल पर काम आई कि जो जन धन बैंक एकाउंट या दूसरे बैंक एकाउंट हैं, उनमें जिस प्रकार लोगों को दिक्कत आ रही हैं, मुझे लगता है कि उन सभी दिक्कतों पर बैंक के सीनियर ऑफिसर्स और सरकार मिलकर बहुत कायदे से निगरानी रखेगी और जिस तरह की शंकाएं जताई जा रही हैं, वैसी कोई भी शंका या दिक्कत लोगों के सामने आने नहीं दी जाएगी। मुझे लगता है कि हर प्रकार से इस मर्ज़र के बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। इससे बैंकों की कैपिटल बढ़ जाएगी, उनके ए.टी.एम्स बढ़ जाएंगे और हर प्रकार की सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। इससे हमारे देश के नागरिकों, देश के किसानों और देश के मजदूर भाइयों, सभी को बहुत लाभ होगा।

मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो मर्ज़र का निर्णय लिया है, वह बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जिसका हम सब स्वागत करते हैं, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Thank you. Now, Shri K. K. Ragesh; not present. Now, hon. Minister to reply. ...*(Interruptions)*...

SHRI K. K. RAGESH (Kerala): Excuse me, Sir. I have come. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): One second, Mantriji. The hon. Member, the last speaker, has come. Although I have called you, but if you don't mind, he can be called. ...*(Interruptions)*... Mr. Ragesh, you should have been present here. Last time also, you were not present.

SHRI K. K. RAGESH: Mr. Vice-Chairman, Sir, as many other Members have stated, this particular Bill seeks to repeal two Acts. This is inevitable because the merger that has already taken place, and, five associate banks have already been merged with the State Bank of India. Sir, we did not get any opportunity to discuss the pros and cons of merger that has already taken place. Eventhough, all these banks were set up as a by-product of

[Shri K.K. Ragesh]

this Parliament, as these banks were set up as per the Act of Parliament, we did not get any opportunity to discuss the pros and cons of the merger that has taken place.

Sir, I do not want to speak about whether I support the Bill or not because it is meaningless at this point of time. But it is the right time to assess the outcome of the merger that has already taken place.

Firstly, I want to know from the hon. Minister as to whether any reduction in the staff strength has taken place or not. I have seen a media report that staff strength of 10,584 has already been slashed after the merger. In March, 2017, total number of employees in the SBI was 2.79 lakh, and, in September, it was reduced to 2.69 lakh. What is the reason for that? Yes, recruitment is not taking place *vis-a-vis* retirements. That is the main reason. So, already staff strength has been slashed.

Secondly, Sir, I want to know as to how many employees had opted for VRS. A media report says that more than 3,500 employees had already opted for VRS and they had already taken voluntary retirement. Staff strength is getting reduced. Many employees had to opt for VRS. What was the reason for merger, Sir? Yes, banking sector is facing a severe crisis, as we all know, due to the NPAs that have accumulated in the Public Sector Banks. But why should we try to resolve those issues at the expense of the poor? That is the main question. You are always claiming that you have already offered that many jobs every year and you have made that much of employment generation. It may be in the form of peanut selling or *pakoda* selling. Whatever it is, but you are saying that you have made that much of employment generation. But what about the secured employment, permanent employment? That is getting reduced due to these kinds of policy decisions taken by you, may be in the form of merger or may be in the form of selling out public sector industrial units, etc. So, on the one hand, you are claiming that you are generating employment, at the same time, whatever employment that you have generated is not secured employment. Those are like peanut selling. But, at the same time, all the secured employment is getting dismantled, diminished, which should be an important point that has to be debated. And I want to know from the hon. Minister how many branches have already been closed due to merger. Media reports are saying that already more than thousand branches of associate banks have already been closed. Sir, what is the reason for this merger? It is not for providing more employment to the jobless youth, not for any other purposes, but to address the crisis that has existed in the field of public sector banks. Sir, these associate banks, as Shri Jairam Ramesh said at the very beginning, are treated as the banks of the

concerned States. If I talk about the State Bank of Travancore, it was treated as a bank of the State of Kerala itself because it was playing a vital role in the overall development of the State. If you look at the farmers' loans that are being provided, if you look at the students' loans that are being provided, the SBT was at the highest on all these accounts. But, at the same time, these poor farmers and students don't have any access to the SBI. SBI is mainly concentrating on the richer section, on the corporate. So, these banks, which are treated as their own banks in the concerned States, they are already gone and have become the SBI, which is not accessible to the poor. That is the main issue.

Finally, Sir, I am sorry to say that you are penalising the poor. The crisis that has emerged in the field of banking sector is not because of the farmers of our country, not because of the poor people of our country. If you look at the total figures of the NPAs of the SBI alone, it has got ₹ 1.89 lakh crore of NPAs. The figures say that out of this total amount, 90 percentage of the NPAs is made by the corporate, the big business companies. They are responsible for the crisis. Now, you are going to come up with a new Bill that is pending before the Parliament, the Financial Resolution and Deposit Insurance Bill, which has got the provision of merger to address the existing crisis. What is that? ...*(Time Bell rings)*...

Two more sentences, Sir.

One of the measures is merger. That has already taken place in the case of the SBI and the associate banks. And why is this crisis there? It is due to the corporate loans. ...*(Time Bell rings)*...They are not ready to pay back the loans taken by them. They are responsible for the increasing Non-Performing Assets in the banks. You have to penalise them. But, unfortunately, even the SBI is penalising the poor by imposing a penalty on poor account holders who are not in a position to maintain monthly average balance. It is not the rich who are not able to maintain MAB. It is the poor account holders who are not able to maintain Monthly Average Balance. And the SBI alone, in the previous year, had imposed the penalty of ₹ 1,771 crore on the poor, who are not able to maintain Monthly Average Balance. The corporates are mainly responsible for the crisis. And you are trying to resolve the crisis at the expense of the poor. This should be objected and that is what I want to say. Thank you very much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Before I call the hon. Minister, this is for the information of hon. Members that after this Bill, the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 2017 will be taken up. The Members who want to participate in the debate may kindly give their names. Now, the hon. Minister will reply.

श्री शिव प्रताप शुक्लाः मान्यवर, धन्यवाद। इस बिल पर आदरणीय जयराम रमेश जी के साथ ही साथ लगभग 14 लोगों ने अपने बहुमूल्य विचार रखे हैं और निश्चित रूप से वे सारे के सारे बहुमूल्य विचार इस बिल के पक्ष में ही रहे हैं कि कुछ तथ्यों के साथ लोकसभा से यह बिल पास हुआ है और राज्य सभा में विचार करने के लिए आया है, पास करने के लिए आया है। साथ-ही-साथ कुछ ऐसे विचार भी हैं जिनको सरकार के भी विचारार्थ दिया गया है कि नहीं, इन पर विचार करके बैंकों को भी सुझाव दिया जाए, तो दोनों बातें आई हैं। इतने महत्वपूर्ण विचार रहे हैं। मैं उन सब का स्वागत करता हूं।

मान्यवर, भारतीय स्टेट बैंक में ये जो पांच बैंक हैं...... भारतीय स्टेट बैंक के अधिनियम वर्ष 1959 के स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अधिनियम और वर्ष 1956 के निरसन और भारतीय स्टेट बैंक वर्ष 1955 जहां तक इसका संबंध भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों से है, जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अधिग्रहीत किया गया है, इसमें कुछेक अनुबंधों को संशोधित करने का भी प्रस्ताव है। वर्ष 1959 में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का गठन भी कभी भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों के रूप में हुआ था और देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का पूर्ण स्वामित्व भारतीय स्टेट बैंक के पास ही रहा है। जब आदरणीय जयराम रमेश जी बोल रहे थे तो उन्होंने एसबीआई के डाटा के साथ पूरे तौर पर उद्धृत किया था, तो हम भी उसी बात को दोहराने जा रहे हैं, उनकी बात में सम्मिलित हो रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में 90 प्रतिशत शेयर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में 75.5 प्रतिशत शेयर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर में 79.9 प्रतिशत शेयर। यहां कई चीज़ें जो चर्चा में आई, जिनमें कहा गया कि क्यों विलय किया गया.... वास्तव में स्टेट बैंक के पास से इन बैंकों के अधिकांश शेयर्स थे, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर यह व्यवस्था थी कि स्टेट बैंक के अतिरिक्त जो बैंक प्रांतों में यह कार्य कर रहे हैं, वे उस कार्य को करते रहें और वे स्टेट बैंक से विभिन्न तरीकों से सम्बद्ध रहें, लेकिन उसके बाद यह विषय आया कि कहीं न कहीं उनमें घाटे की स्थिति बढ़ती जा रही है। आदरणीय जयराम रमेश जी ने यह कहा कि जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 10,000 करोड़ रुपए का फायदा है, तो फिर उस पर 16,000 करोड़ रुपए को क्यों थोपा गया? सर, मैं बताना चाहता हूं कि ये सब के सब बैंक जनता के विश्वास के लिए हैं और जब जनता का विश्वास डूबता है, तो किसी भी सरकार का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि वह जनता के विश्वास को पूरे तौर पर स्थिर रखे। पहले भी सरकारों ने यह किया है और आज की सरकार भी यह कर रही है, क्योंकि किसी भी लोकप्रिय सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने लोगों के साथ, अपनी जनता के साथ जुड़ी रहे, उसको विश्वास दिलाती रहे और उस विश्वास को बल देने के लिए वह स्वयं खड़ी रहे। इस नाते इन बैंकों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय करने का एक निर्णय सभी बैंकों के प्रबंधनों ने मिलकर लिया, जिसका अनुमोदन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया, उस अनुमोदन के बाद इन बैंकों के विलय की बात आई और फिर उसको लोक सभा से पास किया गया। पिछले सत्र में प्रयत्न के बावजूद भी यह पास नहीं हो पाया था, जबकि कई बार ऐसा लगता था कि यह आज पास हो जाएगा, कल पास हो जाएगा। आज वह शुभ अवसर आया है, जब हम सभी लोग एकमत से इस बिल को इस सदन में पास करने जा रहे हैं। इसके लिए भी सभी लोगों को धन्यवाद है।

संसाधनों के युक्तिकरण, लागतों में कमी लाने, लाभप्रदता को बढ़ाने और निधियों की लागत कम करने के नाते भी इन बैंकों का विलय किया गया, ताकि बड़े पैमाने पर लोगों को बेहतर ब्याज दर

प्राप्त हो। उत्पादकता तथा ग्राहक सेवा में सुधार के उद्देश्य से केन्द्र सरकार की स्वीकृति और भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श के उपरांत स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के साथ उनकी सारी की सारी आस्तियां, उनके देय सहित उनका सारा का सारा कारोबार आदि के अधिग्रहण के लिए एसबीआई का समझौता हुआ और आज वह पूरा हो चुका है। हम लोग आज इसको राज्य सभा से भी पास करके इसकी पूरी तौर पर पुष्टि करने वाले हैं। ऐसे अधिग्रहणों से संबंधित योजनाओं पर भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड और अनुषंगी बैंकों के संबंधित बोर्डों द्वारा सहमति व्यक्त की गई और इस पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना अनुमोदन प्रदान किया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। मान्यवर, जब लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, तब बैंकों के सुदृढ़ीकरण और नौकरियों के संबंध में बात आई। मैं समझता हूं कि रोजगार देने का काम जितना इस सरकार ने किया है, शायद किसी ने नहीं किया होगा। जब जन-धन खाते की बात आई थी, तब यह हुआ था कि बिना एक भी नया पैसा जमा किए उन लोगों का बैंक में खाता खुलेगा, जिन लोगों ने कभी यह जाना ही नहीं था कि इस देश में बैंक नाम की कोई चीज़ है, जिन्होंने बैंक का कार्यालय नहीं देखा था, जिन्होंने बैंक का रुख नहीं किया था। इस सरकार ने बैंकों के साथ बैठकर एक महत्वपूर्ण निर्णय किया कि आप लोग जाइए और शाखा खोलिए। बैंकों ने यह नहीं कहा कि आप मेरे पास आइए। पहले लोग बैंक आते थे, बैंक के खातेदारों में से दो लोगों को अपना जमानतदार बनाते थे, अपना पैसा जमा करते थे और पैसा जमा करने के बाद उनको पासबुक मिलती थी कि आपने इतना पैसा जमा किया है। जन-धन खाते में एक भी नया पैसा जमा नहीं किया गया। कुछ लोग आए, अनेक लोग बैंक आए भी नहीं, बल्कि बैंक स्वयं उनके दरवाजे तक गया, किसी जमानतदार की कोई आवश्यकता नहीं हुई, बिना जमानतदार की आवश्यकता के भी इस देश के उन लोगों ने, जिन्होंने बैंक का भवन भी कभी नहीं देखा था, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने उनको पासबुकदेकरयहसिद्धकरदियाकिआपइसदेशकेसच्चेनागरिकहैं,मालिकहैं।सरकारसेवकके रूप में रहती है, प्रधान मंत्री जी ने अपने को प्रधान सेवक के रूप में प्रस्तुत किया। इस बात को सिद्ध करने का काम इस सरकार ने किया था। जन-धन खाते में जनता के धन का खाता उनको पासबुक के रूप में मिला।

मान्यवर, उस वक्त बहुत मज़ाक उड़ा था, जब जन-धन खाते खोले गए थे। लोगों ने कहा था कि यह क्या है। बैंकों को भी शायद उस समय विश्वास नहीं रहा होगा, लेकिन पूरे तौर पर वार्ता करने के बाद प्रबंधन को जब यह बताया गया कि इस तरह से खाते खोलने हैं, प्रबंधन ने वह काम किया। इस देश में 32 करोड़ जन-धन खाते खुले। 32 करोड़ खाते ऐसे नहीं हैं जो केवल खुलकर रह गए। आज हम इस बात को गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो खाता बिना एक पैसा जमा किए भी खुल गया था, आज इस देश में उन खातों में 87 हजार करोड़ रुपए जमा हैं। 87 हज़ार करोड़ रुपए का जमा होना यह बताता है कि इस देश की उस जनता ने, जिसको हमेशा लोगों ने छला था, जो कुछ नहीं जानती थी, उस जनता ने इस सरकार पर व इस देश के प्रधान मंत्री जी पर विश्वास किया। उस विश्वास के आधार पर बैंकों में अपने पैसे को जमा करने का काम किया।

SHRI K. K. RAGESH: Sir. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): आप बैठिए। No, no ...*(Interruptions)*... Please sit down...*(Interruptions)*...

श्री शिव प्रताप शुक्ला: रागेश जी, आप बाद में बोल लीजिएगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): शुक्ला जी, आप बोलते रहिए।

श्री शिव प्रताप शुक्ला: 87 हजार करोड़ रुपए जमा किया। उन्होंने विश्वास किया। अभी विशम्भर जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बोलने के क्रम में इस बात को कहा कि जन-धन खाते से पैसे कट रहे हैं।

(सभापति महोदय *पीठासीन हुए)*

मैं आपको सूचना दूं कि पूरे देश में किसी भी जन-धन खाते से एक भी नए पैसे की कटौती नहीं हुई है। उसमें किसी भी बैंक ने कोई कटौती नहीं की है। अगर किसी ने अपने 2 हज़ार रुपए भी जमा किए थे तो वह इन्टरेस्ट के साथ आज बढ़ा है। कटौती न होने के नाते वह घटा नहीं है। इस नाते मैं आपको पूरे तौर पर सूचना दे दूं कि वह घटा नहीं है। अभी इसी बात की चर्चा चल रही थी। बैंक के साथ-साथ यह भी एक विषय आ गया था इसलिए इसका स्पष्टीकरण देना मेरे लिए जरूरी है। आदरणीय डी.राजा जी ने यह कहा था कि जीएसटी को जल्दबाजी में लाया गया। नोटबंदी के संदर्भ में भी बात आयी। माननीय विशम्भर प्रसाद जी और डी. राजा जी अगल-बगल में बैठे हुए हैं। आपने कहा कि गलत तौर पर यह बता दिया गया कि बैंकों में पैसा आ गया था। विशम्भर जी, एक लाख करोड़ से अधिक रुपए, जो लोगों की तिजोरियों में बंद थे, यह उसी नोटबंदी का परिणाम था कि उन रुपयों ने देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने का काम किया, वह पैसा बैंकों में जमा हो गया और अब भारत की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़कर वह पूरे तौर पर उनको भी लाभ दे रहा है और देश को भी लाभ देने का काम कर रहा है।

आदरणीय राजा जी ने जीएसटी की बात उठायी - जीएसटी को चाहे जल्दबाजी में लाया गया हो या बिना समझे-बूझे लाया गया हो, लेकिन एक साल के अंदर इस पूरे देश के व्यापार से जुड़े हुए लोगों ने उन 17 कानूनों के आधार पर "एक देश, एक कर" जो बना था, 17 कानूनों के आधार पर जो एक कानून बना था, उसकी acceptance यह हुई, उसकी स्वीकार्यता यह हुई कि आज पूरे देश की जनता ने उसको स्वीकार कर लिया है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने मध्य रात्रि में - दूसरी बार जब मध्य रात्रि का विषय आया था, सेंट्रल हॉल में हम सभी लोग बैठे थे - यह कहा था कि Goods and Service Tax, जो जीएसटी का नाम है, आगे चलकर अच्छा और सरल कानून बनेगा। आज देश की जनता ने उसकी सरलता को स्वीकार कर लिया है, उसको अच्छा मान लिया है और सबसे बड़ी बात यह हुई है कि जीएसटी ने संघवाद को पूरी तरह से पुष्ट करने का काम किया है। आज तक जीएसटी काउंसिल ने कोई निर्णय नहीं लिया है, जो unanimous न रहा हो। सभी राज्यों के वित्त मंत्री या माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा नामित मंत्री उस काउंसिल में आते हैं, आने के बाद अपना पक्ष रखते हैं, उस पर सर्व-विचार होता है, अध्यक्षता आदरणीय वित्त मंत्री जी करते हैं, लेकिन बाद में सभी लोग सहमति बनाकर उस कानून को पास करते हैं, उस रेट का पास करते हैं। इस प्रकार संघवाद का एक सबसे अच्छा नमूना इस जीएसटी ने प्रस्तुत करने का काम किया है। जहां सुन्दर और सरल टैक्स प्रधान मंत्री जी के शब्दों में हुआ, वहीं आज पूरे देश की जनता ने उसे स्वीकार कर लिया है और

संघवाद को सही ठहराया है। इस देश की यही खूबसूरती है किं सघवाद की बात कही जाती है, सभी राज्यों के लोग मिलकर निर्णय लेते हैं।

जीएसटी की एक और खूबी हुई। एक साल में हमने इस देश में जीएसटी को पूरे तौर पर अंगीकृत करा लिया। Indirect Tax की स्थिति को देखिए तो इस देश में 32 परसेंट टैक्स था। 32 परसेंट टैक्स - लगता ही नहीं था कि कहां है, लेकिन हम लोग दिया करते थे। जीएसटी के स्लैब में सबसे अधिक 28 परसेंट का टैक्स है। कहां 32 परसेंट और कहां सबसे अधिक 28 परसेंट! वह 28 परसेंट भी केवल 50 वस्तुओं पर है, शेष में किसी पर 18 परसेंट, किसी पर 12 परसेंट और किसी पर 5 परसेंट है। जैसे-जैसे हमारे राज्यों के वित्त मंत्रियों के यहां से, व्यापारियों से, व्यापारी संगठनों से, उद्यमियों से बात आयी थी कि कोई परेशानी हो रही है तो हम सब लोगों ने उन पर पूरी तरह से विचार किया, हम उसको कम करते गए और आज सब लोगों ने इसे अंगीकार कर लिया है। सिंगापुर कितना बड़ा देश है लेकिन वहां जीएसटी को करने में कई वर्ष लग गए थे, लेकिन भारत की जनता महान है। मैं सभी अधिकारियों, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंन इसे पास किया, मिलकर सम्मिलित निर्णय लिया। हिन्दुस्तान 125 करोड़ की आबदी वाला देश है और इस देश ने केवल और केवल एक साल के अंदर उसको पास कर दिया है। हमने इसके बारे में लोगों को समझा दिया है और बता दिया है। जब जी.एस.टी. शुरू हुआ था, तो उस समय लोगों को थोड़ी परेशानी आई थी, कहीं रिटर्न फाइलिंग में और कहीं दूसरी चीजों में। जहां पर तीन-तीन रिटर्न की स्थिति थी तो अब हमने एक रिटर्न कर दिया है। अब डेढ़ करोड़ रुपए तक के लिए किसी प्रकार का रिटर्न जमा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा हमने कर दिया है।

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I am on a point of order. The Minister is replying to the discussion on the Bill. I don't think there is any such discussion that has taken place.

MR. CHAIRMAN: Some Members seem to have mentioned it.

SHRI ANAND SHARMA: There needs to be a separate debate on that.

MR. CHAIRMAN: That is right. Okay. Some Members have taken up GST or demonetisation, and naturally, the Minister has to respond. Shiv Pratap Shuklaji, you come back to banks.

SHRI Y. S. CHOWDARY (Andhra Pradesh): That is to be done at a later stage.

श्री शिव प्रताप शुक्लाः सर, मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि विषय उठा था, इस नाते मैंने कहा है। अगर नहीं कहता, तो उचित नहीं होता। मैंन तो शुरुआत की है, आदरणीय जयराम रमेश जी हमेशा सदन में बैठे रहते हैं। बैठने के मामले में शायद उनका इस सदन में कोई सानी नहीं है, जिस प्रकार से सवेरे आते हैं और शाम तक बैठे रहते हैं। इस नाते मैंने उनको ही quote किया है, उनके बाद जितने सदस्यों ने भी अपने विचार रखे हैं, सभी सदस्यों ने इस बात को कहा था कि इसका जवाब जरूर दीजिएगा। जब यह कहा कि जवाब जरूर दीजिएगा तो मेरा यह मत बनता है कि उनका जवाब दूं, इस नाते मैंने यह कहा है।

[श्री शिव प्रताप शुक्ला]

सभापति महोदय, एक बात आई थी, रागेश जी ने कहा था कि समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा था कि कर्मचारियों की छंटनी हुई है। रमेश जी, मैं आपको बता दूं कि इस विलय के बाद अभी तक किसी भी कर्मचारी की कोई छंटनी नहीं हुई है। रिटायरमेंट जिन लोगों का था, वे रिटायर जरूर हुए हैं, लेकिन विलय के बाद भी सारी आस्तियों को स्वीकार किया है। आस्तियों का मतलब यह नहीं है कि उनकी परिसम्पत्तियों को और परिसम्पत्तियों के साथ ही साथ उनका जो स्टाफ था, चाहे वह अधिकारी वर्ग का हो, चाहे clerical हो, क्लास फोर्थ हो, सभी को हमने स्वीकार किया है और स्वीकार करने के बाद फिर इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया। पहले भी स्टेट बैंक शब्द जुड़ा हुआ था लेकिन कहीं त्रावणकोर था, कहीं कुछ था, कहीं कुछ था और अब वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदल गया। मैं आपको बताऊं कि एस.बी.आई. को 2017-18 में 6547 करोड़ का घाटा हुआ था, जबकि 2016-17 में यह घाटा 1805 करोड़ का था। हम यह नहीं कह सकते हैं कि इनके विलय के बाद हमारा घाटा बढ़ा, यह जरूर है कि उनके घाटे को हमने स्वीकृति दी, उसके साथ आस्तियां भी हैं, तो उसको भी लिया, लेकिन इसके बावजूद भी वित्तीय प्रबंधन, अनुशासन इन सबको लेकर जब हम गए तो 2016-17 में यह घाटा करीब 1800 करोड़ था। घाटे की वजह भी यह थी कि एस.बी.आई. को एन.पी.ए. के लिए, जो आर.बी.आई. के निर्देशानुसार जो प्रोविजनिंग स्थिति थी, उसके नाते यह हुआ था। बैंकों के द्वारा बॉन्ड में जो निवेश किया गया था, उसकी वैल्यू घटती भी है और बढ़ती भी है, जिसकी वजह से 8088 करोड़ का घाटा हुआ था। जिसे हम मार्केट लॉस के रूप में देखते हैं, इस तरह से यह हुआ था।

सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि जो भी सुझाव सदन में आए हैं, हमने उन सब का स्वागत इस नाते से किया है कि सभी सदस्यों ने अपने सुझाव देने के साथ ही साथ इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करने का काम किया है। इसका विरोध किसी ने नहीं किया है। एक बात जरूर कही है कि क्या जरूरत थी, ऐसा कई सदस्यों ने कहा है, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि कहीं इस पर भी आपत्ति न उठ जाए। मैं यह जरूर बताना चाहूंगा कि इस "क्यों" का जवाब मैंने अपने इस उत्तर में देने का प्रयत्न किया है। हम लोग तो नये आए हैं, आदरणीय जयराम रमेश जी से बहुत कुछ सीखते हैं। वे बड़े अच्छे-अच्छे सुझाव दिया करते हैं। आज भी उन्होंने बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं, बैंकों के हित के लिए हैं, प्रबंधन के लिए है, बैंकों के द्वारा जनता को पूरी की पूरी तौर पर सुविधा मिले, इसके लिए है। हम यह कहना चाहेंगे कि मुद्रा लोन के द्वारा इस देश में लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया है। यह इन्हीं बैंकों ने दिया है। दृढ़ता के साथ सरकार उनके साथ खड़ी रही और खड़े रहकर उनको बल दिया, आवश्यकता पड़ी तो उनके सुधार के लिए भी 2 लाख करोड़ रुपए उनको बॉंड के रूप में मदद की। आज यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम सभी को राष्ट्र के हित में बैंकों के इस विलय को स्वीकार करना चाहिए और इस बिल को पास करना चाहिए। जितने भी सदस्यों ने इसके संबंध में सुझाव दिए हैं, मैं उन सबके सुझावों का आदर करते हुए, उनको धन्यवाद देता हूं। आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The question is:

That the Bill to repeal the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of Hyderabad Act, 1956 and further to amend the State Bank of India Act, 1955, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 8 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 1, there is one Amendment (No.2) by the Minister.

CLAUSE 1 - SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

श्री शिव प्रताप शुक्लाः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूंः

(2) कि पृष्ठ 1 पंक्ति 6, अंक "2017" के स्थान पर अंक "2018" प्रतिस्थापित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Enacting Formula, there is one Amendment (No.1) by the Minister.

ENACTING FORMULA

श्री शिव प्रताप शुक्लाः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूंः

(1) कि पृष्ठ 1 पंक्ति 1, "अड़सठवें" शब्द के स्थान पर "उनहत्तरवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, Mr. Minister.

श्री शिव प्रताप शुक्लाः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूंः

कि संशोधित बिल पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री सभापतिः इस बिल पर बहुत अच्छी और सार्थक चर्चा हुई। इसके लिए मैं सभी सदस्यों का अभिनंदन करना चाहता हूं। This proves that whenever we discuss, we take the debate to the higher level. That has been proved once again today on the very first day.